संघर्ष 2012

संपादन : आदियोग

सीमित   वितरण हेतु

जनहित में

संघर्ष संवाद द्वारा संपादित

और

पॉपुलर एजूकेशन एण्ड एक्शन सेंटर (पीस)

ए-124/6, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-16

द्वारा प्रकाशित

मई, 2013

मुद्रक :

डिजाइन्स एण्ड डाइमेंशन

एल-5ए, फेस-2, नई दिल्ली-110017

आधार सामग्री

प्रशांत पैकरा, कल्याण आनंद, लिंगराज आजाद, अमूल्य कुमार नायक, सत्य नारायन, मनोरंजन दास, सुरेन्द्र नाग, डा. आशीष मित्तल, राज बहादुर पटेल, प्रतापसिंह राणा, धर्मेन्द्र यादव, रवीन्द्र कुमार सिंह, रामाश्रय यादव, अरूण कुमार सिंह, राजेन्द्र मिश्र, महेशानंद, वीरेन्द्र प्रताप सिंह, विश्वनाथ खरवार, कुमारचन्द मार्डी, मुकेश बिरुआ, श्रीचन्द सिंह डुडी और संघर्ष संवाद टीम.

विषय सूची

भूमिका

भारत के 130 जिलों में जारी है ज़मीन बचाने की जंग 1

आन्ध्र प्रदेश

श्रीकाकुलम थर्मल पावर प्लांट विरोधी आंदोलन 3

ओडिशा

पोस्को विरोधी आंदोलन 5

वेदांता विरोधी आंदोलन 15

जिंदल स्टील का विस्थापितों पर नृशंस हमला 17

उत्तर प्रदेश

करछना भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन 26

गंगा एक्सप्रेस वे विरोधी आंदोलन 34

कनहर बचाओ आंदोलन 47

झारखण्ड

भूषण विरोधी आंदोलन 52

तमिलनाडु

कूडनकुलम पमाणु संयंत्र विरोधी आंदोलन 59

राजस्थान

सीमेंट प्लांट विरोधी आन्दोलन 63

भूमिका

पूरा देश जंग का मैदान बनता जा रहा है। इस जंग में एक तरफ जनता है और दूसरी तरफ विकास के देवता उर्फ कारपोरेट गिद्ध, निरंकुश सरकारें, काले कानून, जालिम पुलिस-प्रशासन और बहुत हद तक अदालतें भी। यह सिलसिला खास तौर पर उदारीकरण, निजीकरण और खगोलीकरण नाम के अंधड़ के लिए देश के दरवाजे खोल देने के साथ परवान चढ़ा।

देश को, देश की संप्रभुता ओर स्वायत्तता को, देश के बेशकीमती प्राकृतिक खजाने को वैश्विक पूंजी के महारथियों यानी मुनाफे के लुटेरों के हाथों में सौंप देने और विकास के नाम पर देश की अधिसंख्य आबादी को विस्थापन, बेकारी, लाचारी, गरीबी, भुखमरी की आग में झोंक देने की जिद और जबरदस्ती है। यह कहीं से लोकतांत्रिकता की निशानी नहीं है।

सरकारें नहीं समझना चाहतीं कि जनहित से बड़ा कोई राष्ट्रहित नहीं हो सकता, कि पेट रोटी से भरता है, विकास दर में बढ़त के आंकड़ों से नहीं, कि लोग नहीं चाहते कि उनकी आजीविका, परिवेश, संस्कृति और सुख-चैन पर कोई हमला हो। सत्ता को यह मामूली बात समझाने और अपने जीने के अधिकार की रक्षा के लिए जनता को यहां-वहां संघर्ष का मोर्चा खोलना पड़ रहा है। कहीं वह जीत रही है तो कहीं जीत के करीब है तो कहीं उसके हारते-टूटते जाने के भी हालात हैं। यह बड़ी बात है कि भीषण राज्य दमन के बावजूद वह संघर्ष के मैदान में है, सत्ता प्रतिष्ठान से टकरा रही है, समझदार हो रही है।

भारत के 130 जिलों में जारी है ज़मीन बचाने की जंग

राइट्स एंड रिसोर्सेज इनीशिएटिव और सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ वेस्टलैंड डेवलपमेंट की ताज़ा रिपोर्ट आगाह करती है कि बड़ी परियोजनाओं के चलते अगले 15 सालों में भारत में संघर्ष और भीषण अशांति की आशंका है। नियामगिरि, कूडनकुलम, पोस्को जैसी परियोजनाओं के खिलाफ चल रहे आंदोलन मुख्याधारा के मीडिया में दस्तक दे चुके हैं। लेकिन देश के कुल 130 जिलों में जल-जंगल-जमीन की रक्षा के लिए ऐसे ही तमाम आंदोलन चल रहे हैं जिनकी मीडिया में उपस्थिति बहुत कम है और जिसका हमारा व्यापक समाज और राजनीतिक तंत्र उपेक्षा कर रहा है। अगर आम लोगों की आकांक्षाओं और राष्ट्रीय नीतियों के बीच संवाद स्थापित न किया गया और इन मुद्दों का लोकतांत्रिक तरीके से हल न निकाला गया तो विस्फोटक स्थिति बन सकती है।

ज़मीन और जंगल के अधिकार पर होनेवाले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन से पहले प्रकाशित हुई अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के जंगल और आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ रहे हिंसक संघर्ष के लिए देश की सरकारी संस्थाएं और निवेशक दोषी हैं। गरीब ग्रामीण भारत के संसाधनों का दोहन लगातार जारी है और इसकी वजह से देश के लगभग सभी राज्यों में संघर्ष की स्थितियां पैदा हो रही हैं। विश्व के शीर्ष विशेषज्ञों का मानना है कि भारत भी चीन, दक्षिण कोरिया और सऊदी अरब जैसे देशो की कतार में शामिल हो गया है जहां ज़मीन का संकट है, और जो विकासशील देशों की आजीविका के मुख्य स्रोत खेती की ज़मीन छीनने लगे हैं।

कैंपेन फॉर सरवाइवल ऐंड डिग्निटी से जुड़े शोधकर्ता शंकर गोपालकृष्णन का कहना है- सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि का बेशर्मी से हो रहा अधिग्रहण भारत के बड़े हिस्से में ज्वलंत मुद्दा है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन वनवासी अधिनियम 2006 अवैध अधिग्रहणों से स्थानीय जनजातीय समूहों की रक्षा करने के लिए बनाया गया लेकिन इसका नियमित तौर पर उल्लंघन हो रहा है। इसी तरह 1996 का पंचायत अधिनियम (पेसा)

भले ही ग्राम सभा को भूमि प्रबंधन और उसकी रक्षा करने की शक्तियां देता है लेकिन देश भर में उसकी भी अनदेखी हो रही है।

भारत में लगातार हो रहे भूमि अधिग्रहण पर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2011 के बाद से 130 जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इन परियोजनाओं के लिए एक करोड़ दस लाख हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण होगा और इसका असर करोड़ों लोगों की आजीविका और जीवन पर पड़ेगा।

गोपालकृष्णन और उनके सहयोगियों का कहना है कि भारतीय कानून में संघर्ष के मूल कारणों का समाधान पहले से ही मौजूद है।

पारंपरिक वन समुदायों के भूमि अधिकार के विशेषज्ञ और राइटस एंड रिसोर्सेज इनीशिएटिव के कार्यकारी निदेशक अरविंद खरे कहते हैं कि अभी हालत यह है कि सरकार का एक हिस्सा ही इन अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है। कानून तो मौजूद है पर कानून का उल्लंघन करने के लिए कोई जुर्माना है क्या? एक अंतर्राष्ट्रीय शोध का हवाला देते हुए वह आगे कहते हैं कि भारत सरकार और भारतीय स्वामित्ववाली कंपनियों ने अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में खेती के मकसद से भूमि का अधिग्रहण किया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि हाल में भूमि अधिग्रहण, अदालती मामलों और समाचार रिपोर्टों की जांच से पता चलता है कि भारत में भूमि हड़पे जाने के खिलाफ प्रदर्शनों में बढ़ोत्तरी देश में विकास की सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल हो रही है। देश के हर राज्य और क्षेत्र में आदिवासी इन ज़मीन संबंधी विवादों में उलझे हुए हैं। भारत के नक्शे में 2011 और 2012 के दौरान 602 ज़िलों में से 130 में इन विवादों के चलते हिंसक संघर्ष हुए हैं।

श्रीकाकुलम थर्मल पावर प्लांट विरोधी आंदोलन

दमन के सहारे विकास की तैयारी

श्रीकाकुलम में थर्मल पावर प्लांट के विरोध में खड़े गांववालों, किसानों, मछुआरों पर आंध्र प्रदेश पुलिस ने जुलाई 2010 के बाद फरवरी 2011 में फिर से अपना दमनात्मक रुख आज़माया। आंध्र प्रदेश सरकार शायद यही समझती है कि 'विकास बंदूक की नोक से' गुजर कर आता है। तभी तो उसकी पुलिस ने 25 फरवरी को उन लोगों पर गोली चलायी जो अपने जीवन, आजीविका एवं संसाधन को बचाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे थे। इस गोलीकांड में 8 लोग घायल हुए। पुलिस ने वादितंद्रा व हनुमंथ नायडुपेट गांव में भूख हड़ताल के लिए लगे टेंट को उखाड़ दिया, लोगों को मारापीटा और धमकाया।

इसके तीन दिन बाद 28 फरवरी 2011 को पुलिस ने गांववालों पर फिर से कहर बरपा किया। इस बार पुलिस की गोली से तीन लोगों की मौत हुई एवं 25 लोग घायल हुए। पहले गोलीकांड के बाद पर्यावरण सुरक्षा समिति एवं एनएपीएम के कार्यकर्ताओं ने काक्रापल्ली के आसपास के गांव में दवाई व खाना लेकर जाना चाहा था। उन्हें न केवल रोका गया बल्कि धमकाया भी गया। यहां एक हफ़्ते से न कोई साप्ताहिक बाज़ार लगने दिया गया था और न ही किसी भी मीडियावालों को अंदर जाने दिया गया।

28 फरवरी को पुलिस ने आंसू गैस छोड़ते हुए मछुआरों के सौ घरों को जलाने का प्रयास किया। इसका दोष गांववालों पर मढ़ने के लिए अपनी भी गाड़ियों को जला दिया। इन घटनाओं से पहले एनएपीएम ने प्रदेश के मानवाधिकार आयोग व पुलिस मुखिया से भी पुलिसिया ज़्यादती की शिकायत की थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

यहां के लोग विनाशरूपी विकास के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। गौरतलब है कि पावर प्लांट ऐसी जगह बनाया जा रहा है जो घोषित रूप से दलदली इलाका है।

पर्यावरण कानूनों के हिसाब से दलदली इलाके में वह परियोजना गैरकानूनी है जिससे प्रदूषण फैल सकता है। वादितंद्रा गांव में 2640 मेगावाट की भावनापाडु थर्मल पावर प्लांट को मंजूरी दे दी गयी है जिसे दलदली इलाके से सिर्फ 2.5 किमी की दूरी पर स्थापित किया जाना है। यह मंजूरी खतरनाक है।

लोग चाहते हैं कि थर्मल पावर प्लांट का प्रोजेक्ट रद्द हो। अपनी जमीन, जल व आजीविका की रक्षा के लिए लड़ रहे लोगों पर हमला बोलनेवाली पुलिस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, पुलिस की गोलियों से मारे गये लोगों के परिजनों और घायलों को मुआवजा मिले। गांववालों पर थोपे गये फर्जी मामले वापस हों।

यह अच्छी खबर है कि आजीविका एवं संसाधनों की रक्षा के लिए भावनापाडु पावर प्लांट के अलावा नागार्जुन पावर प्लांट और मेधावरम पावर प्लांट के भी खिलाफ जारी संघर्ष को देखते हुए पर्यावरण मंत्रालय ने इन सभी पावर प्लांटों को अनुमति देने के बारे में पुनर्विचार करने का मन बनाया है।

ओडिशा

पोस्को विरोधी आंदोलन

राष्ट्रीय हित में कारपोरेटी लूट को न्यौता

8 जनवरी 2013 से उड़ीसा के गोविन्दपुर में विस्थापन के खिलाफ शुरू हुए प्रतिरोध आंदोलन का ताजा चरण जारी है। इस दौरान पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति के 6 सदस्यों सहित पोस्को स्टील प्लांट का विरोध कर रहे दो हज़ार ग्रामीणों पर पुलिस ने 230 फर्जी मुकदमे दायर किये हैं। सरकार पुलिस बल के बूते जबरन भूमि अधिग्रहण करना चाहती है जबकि इस परियोजना के लिए जारी पर्यावरणीय मंजूरी 30 मार्च 2012 को ही निरस्त हो चुकी है और एमओयू का नवीनीकरण भी नहीं हुआ है। ऐसे में 700 एकड़ वन भूमि का जबरिया अधिग्रहण पूरी तरह गैरकानूनी है।

सरकार की तमाम धमकियों और आंदोलन के दमन की सारी कोशिशों के बावजूद धिंकिया और उसके आसपास के गांवों में लोगों के लड़ने का दम कमज़ोर नहीं पड़ा है। आंदोलनरत लोगों पर फर्जी मुकदमे करना उड़ीसा सरकार की दमनकारी मशीनरी का हथियार बन गया है ताकि मुकदमों में फंसा कर लोगों को थका दिया जाये। इस निहायत गैर लोकतांत्रिक पद्धति का पर्दाफाश कर इसे पराजित किया ही जाना चाहिए।

याद रहे कि 22 जून 2005 को भारत की सरकार और कोरिया की पोहांग स्टील कंपनी के बीच हुए समझौते के बाद उड़ीसा के जगतसिंहपुर में 1.20 करोड़ टन प्रतिवर्ष उत्पादन की क्षमता का स्टील प्लांट स्थापित किया जाना था। स्थानीय ग्रामीण शुरू से ही इसका तीखा विरोध करते रहे हैं।

22 जून 2012 को पोस्को और सरकार के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने के 7 वर्ष पूरे होने के मौके पर पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति ने पटनाहाट एवं बालितिथा में पोस्को के विरोध में दो जनसभाओं का आयोजन किया। वक्ताओं ने कहा कि अगले दो महीनों में, भारत की आजादी के 65 वर्ष पूरे हो जायेंगे। हम उन लोगों को याद करेंगे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने निजी हितों का बलिदान किया। अफसोस की बात है कि भूमंडलीकरण के पिछले डेढ़ दशक के दौरान हमारे नेता आजादी की लड़ाई के उद्देश्यों का ही त्याग कर रहे हैं। भारत की भूमि, नदियों, पहाड़ों, समुद्र और जंगलों को वैश्विक कंपनियों को बेचा जा रहा है। लाखों किसानों, दलितों, आदिवासियों और मछुआरों को

विथापित किया जा रहा है और इस देश के पर्यावरण का विनाश हो रहा है।

विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनी पोस्को की परियोजना वैश्वीकृत भारत का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। इस परियोजना से हजारों किसानों, दलितों, महिलाओं, बच्चों, मछुआरों और स्थानीय लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित होगा।

पोस्को के खिलाफ जन आंदोलन पॉस्को और उड़ीसा सरकार के बीच हुए समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद ही शुरू हो गया था। तब से पोस्को समर्थक गुंडों द्वारा प्रतिरोधरत सौ से अधिक लोगों पर बम द्वारा हमले किये गये हैं और करीब सौ ग्रामीणों को ओडिसा पुलिस गोली मार चुकी है। अभय साहू और नारायण रेड्डी जैसे नेताओं के साथ 15 सौ से अधिक ग्रामीण और कार्यकर्ता दो सौ से अधिक झूठे केसों का सामना कर रहे हैं। 5 कार्यकर्ता अब भी जेल में हैं। लेकिन तमाम दमन के बावजूद पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति का संघर्ष केन्द्र और राज्य सरकारों की मिलीभगत से काम कर रहे विशाल वैश्विक पूंजीवादी ढांचे के विरोध में लगातार जारी है।

अगर पोस्को विरोधी आंदोलन दबाया गया तो यह उड़ीसा और भारत के बाकी हिस्सों में जारी इसी तरह के दूसरे तमाम संघर्षों को प्रभावित करेगा। चूंकि सेज परियोजना देश में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है इसलिए इसके खिलाफ चल रही लड़ाई को वैश्वीकरण के खिलाफ और भारत की आजादी के संघर्ष के प्रतीक के रूप में समझा जाना चाहिए।

पोस्को की सेवा में कायदा-कानून ताक पर

भारी विरोध के बावजूद 2 मई 2011 को केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पोस्को कम्पनी को 1253 हेक्टेयर वनभूमि के उपभोग चरित्र में परिवर्तन करने की सशर्त इजाजत दे दी। इसके लिए कानूनी प्रावधानों, खुद सरकार द्वारा गठित समितियों और विशेषज्ञों की संस्तुतियों तथा स्थानीय लोगों की असहमति को दरकिनार कर दिया गया। इसके बदले राज्य सरकार पर पूरा भरोसा किया गया। बेशर्मी के साथ 'पोस्को जैसी परियोजनाओं को आर्थिक-प्रौद्योगिकी तथा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण' करार दिया गया।

याद रहे कि तत्कालीन पर्यावरण एवं वनमंत्री ए राजा (2004-07) द्वारा 2 वर्ष में दी गयी 2016 पर्यावरण संस्तुतियों में उनकी और उस दौरान उनके मंत्रालय के नौकरशाह रहे आरके चंदोलिया की संदिग्ध भूमिका की सीबीआई जांच की घोषणा हुई कि उसके चौबीस घंटे के भीतर पोस्को को हरी झण्डी मिल गयी। (फिलहाल, दोनों 2जी स्पेक्ट्रम मामले में अभी तिहाड़ जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं) जांच में पोस्को कम्पनी के पारादीप में प्रस्तावित पोर्ट को 15 मई 2007

को मिली पर्यावरण संस्तुति का भी प्रकरण शामिल था। यह उल्लेख जरूरी है कि 1 जून 2007 को नौकरशाह मीना गुप्ता ने पर्यावरण मंत्रालय में सचिव का कार्यभार संभाला था। इसके बाद उन्होंने जो काम सबसे जल्दी निपटाया, वह था 19 जुलाई 2007 को पोस्को कम्पनी के स्टील प्लांट को भी पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करना। उस समय यह मंत्रालय प्रधानमंत्री देख रहे थे।

राजा के बाद पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का कार्यभार संभालने आये जयराम रमेश ने मीना गुप्ता की इस काबिलियत का सम्मान किया। पोस्को के दोनों मामलों की जांच-पड़ताल के लिए बनी कमेटी का कार्यभार भी उन्हीं को सौंप दिया। बाद में कमेटी की संस्तुतियों से मीना गुप्ता ने अपनी असहमति जतायी थी। इस एनसी सक्सेना कमेटी ने साफ कहा था कि पोस्को की दी स्वीकृति में वन अधिकार कानून का सरासर उल्लंघन हुआ। कमेटी के एक अन्य सदस्य आशीष कोठारी ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि यह इलाका जनजातियों एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों का परम्परागत निवास नहीं है और दावा किया कि प्रभावित होने जा रहे गांवों के निवासी कम से कम तीन पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं। एनसी सक्सेना कमेटी ने संस्तुति की थी कि- पोस्को की दोनों परियोजनाओं को दी गयी ईआईए एवं सीआरजेड संस्तुतियां रद्द की जायें। नये सिरे से ईआईए पर जन सुनवाई आयोजित की जाये। इस बीच किसी को भी विस्थापित न किया जाये और न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जाये। एक समग्र (पूरी परियोजना-स्टील प्लांट, पावर प्लांट, पोर्ट, रोड, टाउन शिप, रेल, पानी, गैस लाइन आदि को लेकर) ईआईए बनायी जाय।

इन संस्तुतियों के आधार पर 8 अगस्त 2010 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को परियोजना पर रोक लगानी पड़ी थी। लेकिन उसी कमेटी की रिपोर्ट से पल्ला झाड़ कर बस आठ माह बाद ही आखिरकार पोस्को परियोजना के पक्ष में फैसला कर लिया गया। इस तरह राजा का अधूरा रह गया काम जयराम रमेश ने पूरा किया।

इसके लिए निर्वाचित पंचायतों की राय जानने की जरूरत नहीं समझी गयी। शर्तें भी ऐसी रखी गयीं जो पहले से लागू कानूनों, प्रावधानों तथा निर्देशों के तहत बाध्यकारी रही हैं। पॉस्को को वन भूमि के इस्तेमाल की इजाजत देने का मतलब है- निर्वाचित सरकार का मान तथा निर्वाचक मण्डल का अपमान। यह फैसला सामूहिक संपदा के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश (28 जनवरी 2011) की भी अवहेलना था।

पोस्को को हरी झंडी दिये जाने से कोई दो माह पहले, फरवरी 2011 के तीसरे हफ्ते में, ढिंकिया एवं गोविन्दपुर की पल्ली सभा (ग्राम सभा) पूरे बहुमत के

साथ इस प्रस्ताव को खारिज कर चुकी थी। लेकिन राज्य सरकार इन ग्राम सभाओं के प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए कहती है कि ग्राम सभा गैर कानूनी है। इसी आधार पर तत्कालीन केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने पोस्को को मंजूरी देने के पीछे तीन वजह बतायी थी- कि ढिंकिया एवं गोविन्दपुर गांव की ग्राम सभा में बहुमत नहीं बन पाया था, सिर्फ कुछ गिनेचुने गांववाले ही इनमें मौजूद थे। कि उड़ीसा ग्राम पंचायत कानून 1964 एवं वन अधिकार अधिनियम 2006 में दिये गये प्रारूप के हिसाब से इन ग्राम सभाओं को कानूनी तौर पर संचालित नहीं किया गया। कि ग्राम पंचायत के नियमों के अनुसार इन पल्ली सभाओं की कार्यवाही निर्धारित रजिस्टर पर दर्ज नहीं की गयी थी और न ही उसमें पंचायत सचिव एवं सरपंच के हस्ताक्षर थे।

यह कहना तथ्य से परे है कि दोनों ग्राम सभा की बैठकों में लोगों की नगण्य उपस्थिति थी। केन्द्रीय मंत्रालय एवं राज्य सरकार को भेजे गये ग्राम सभा के प्रस्तावों पर 70 प्रतिशत लोगों के हस्ताक्षर थे। वैसे, पंचायती राज अधिनियम के मुताबिक ग्राम पंचायतें स्वतंत्र निकाय हैं तथा उनकी कार्यवाहियों को वैध या अवैध घोषित करने का अधिकार राज्य या केन्द्र सरकार को नहीं है। लेकिन पोस्को को उपकृत करने के लिए कोई न कोई बहाना तो चाहिए ही था। पॉस्को को इजाजत दे कर केन्द्र सरकार ने साफ कर दिया कि उसे राज्य के नागरिकों पर नहीं, राज्य सरकार पर भरोसा है। यों, खुद केन्द्र सरकार द्वारा गठित कमेटी अपनी संस्तुति में इस परियोजना को रद्द करने की सिफारिश पहले ही कर चुकी है। लेकिन इन संस्तुतियों को भी सरकार मानने को तैयार नहीं हुई, सिर्फ कुछ फेरबदल को छोड़ कर।

कुतर्क और दिखावटी शर्तें

पोस्को को वनभूमि के उपयोग की सशर्त इजाजत दिये जाने के बावत केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री जयराम रमेश का पहला तर्क था कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित किसी राज्य सरकार पर हमेशा शक नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी जोड़ा कि उड़ीसा सरकार एवं पोस्को कम्पनी के बीच हुए एमओयू (जून 2005) के उस प्रावधान से वे गंभीर रूप से असहज महसूस करते हैं जिसके तहत लौह अयस्क (कच्चे माल) के निर्यात की व्यवस्था है। कि वे एमओयू के नवीनीकरण तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार करते रहे। बताते चलें कि उड़ीसा उच्च न्यायालय के उस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी थी जिसके तहत माइनिंग पर रोक लगायी गयी।

सवाल उठता है कि क्या जयराम रमेश सर्वोच्च न्यायालय को कम और राज्य सरकार को ज्यादा महत्व देते हैं? वे कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका

को भारतीय लोकतंत्र के लिए अनिवार्य मानते हैं या नहीं? भारत के संघीय ढांचे में स्थानीय निर्वाचित सरकारों को भी रखते हैं या नहीं? पंचायतीराज अधिनियम एवं वन अधिकार अधिनियम जैसी संवैधानिक व्यवस्था के लिए भी उनके मन में कोई 'श्रद्वा-विश्वास' है या नहीं? राज्य सरकारों पर विश्वास और स्थानीय निर्वाचित पंचायतों/निकायों पर अविश्वास क्या भारतीय संघीय ढांचे को ठीक ढंग से चलने देगा?

सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब देश में पंचायती राज अधिनियम, पेसा, सीआरजेड रूल्स, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण, वायु प्रदूषण एक्ट जैसे तमाम कानून मौजूद हैं और कम से कम दो कमेटियों की संस्तुतियां भी सामने थीं, उन्हें दरकिनार करके केवल राज्य सरकार पर 'श्रद्वा-विश्वास' रखकर निर्णय लेना कहां तक लोकतांत्रिक तथा वैधानिक था? उन्हें यदि देश में लागू कानूनों तथा सरकार द्वारा नियुक्त की गयी समितियों की संस्तुतियों से इतर केवल इसी आधार पर निर्णय लेना था तो इतनी कवायद की जरूरत ही क्या थी?

उनका दूसरा तर्क था कि 'पोस्को जैसी परियोजनाएं आर्थिक, प्रोद्योगिकी एवं सामरिक महत्व की हैं' अतएव उन्हें हरी झण्डी दी जानी चाहिए। तब इस तर्क के आधार पर उड़ीसा में ही वेदांता के लांजीगढ़ प्रोजेक्ट, महानदी के तट पर कटक एवं भुवनेश्वर शहरों के बीच प्रस्तावित नराज पावर प्रोजेक्ट, कर्नाटक के गुंडिया पावर प्रोजेक्ट, गोवा के पश्चिमी घाटों की माइनिंग, महाराष्ट्र के जैतापुर परमाणु ऊर्जा पार्क, हरियाणा के गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयत्र, मध्यप्रदेश के चुटका परमाणु संयंत्र, राजस्थान के प्रस्तावित सीमेण्ट कारखानों, झारखण्ड-उड़ीसा के मित्तल, जिंदल, भूषण, लावासा परियोजना, छत्तीसगढ़ के जिंदल के पावर-स्टील प्लांट और उत्तर प्रदेश की गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना को भी सम्बन्धित राज्य सरकारें आर्थिक महत्व की बताकर हरी झण्डी दिलवा देंगी। इन्हीं तर्कों का विस्तार होगा जीडीपी बढ़ाने और विश्व शक्ति बनने के लिए सभी प्रकार के प्रतिबंधों का खात्मा तथा सभी प्रकार के विरोध-प्रतिरोध का दमन।

अब ज़रा उन शर्तों पर गौर कीजिये जिनके आधार पर पोस्को कंपनी को अनुमति दी गयी। शर्त थी कि कंपनी को लौह अयस्क निर्यात करने की अनुमति नहीं होगी। इस शर्त को विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के साथ जोड़कर समझने की ज़रूरत है। क्या यह कर पाने में भारत समर्थ होगा? दूसरा पक्ष यह है कि लौह अयस्क की माइनिंग का जीवन और पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ेगा, क्या उसकी क्षतिपूर्ति संभव है चाहे उसका भारत में इस्तेमाल हो या भारत से बाहर? अगली शर्त थी कि पोस्को को मुआवजे के तौर पर सरकार के बताये जिले में वन क्षेत्र विकसित करना होगा, कि वायु प्रदुषण और ध्वनि

प्रदूषण के मापदंडों का पालन करना होगा। यह प्रावधान देश में पहले से ही लागू हैं परंतु इस पर अमल लगभग नहीं के बराबर हुआ है।

शर्तों की लंबी सूची में कहा गया कि कंपनी को समय-समय पर पर्यावरण स्वीकृति लेनी होगी तथा उसका समयबद्ध विवरण उपलब्ध कराना होगा। बरसात के पानी का संग्रहण करना होगा। पेयजल संयंत्र की स्थापना करनी होगी जिसके माध्यम से आसपास के इलाकों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। प्लांट के लिए भू-जल का उपयोग नहीं किया जायेगा तथा जल की स्थिति के बारे में 6 माह के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। क्षेत्र में मौजूद जल स्रोतों तथा प्राकृतिक जल धाराओं को क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी। कम ऊर्जा की खपत वाली तकनीक की व्यवस्था की जायेगी तथा सौर ऊर्जा की व्यवस्था की जायेगी। कचरा निपटान की ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिससे हरियाली को क्षति न पहुंचे। इसकी योजना उत्पादन से पहले प्रस्तुत की जायेगी। प्लांट एरिया के 25 प्रतिशत क्षेत्र के बराबर हरित पट्टी विकसित की जायेगी। श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच तथा उस पर निगरानी करनी होगी। आपदा प्रबंधन और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की योजना तथा व्यवस्था करनी होगी। सीएसआर के तौर पर निर्माणकाल में कंपनी अपनी आमदनी का 2 प्रतिशत खर्च करेगी। पर्यावरण संबंधी विवरण हर वित्तीय वर्ष के अंत में देना होगा। श्रमिकों के लिए कार्यस्थल पर आवास की व्यवस्था सभी सुविधाओं के साथ करनी होगी।

यह सारी शर्तें मूल रूप में देश में किसी न किसी कानून के जरिये लागू हैं। शर्त लगाने का कुल मकसद यह बताना था कि कंपनी के साथ कोई रियायत नहीं की गयी है बल्कि उस पर तमाम शर्तें भी लाद दी गयी हैं। यह दिखावे की सख्ती थी।

दोनों ग्राम सभाओं की सामूहिक वन भूमि को पोस्को कम्पनी के हवाले करने में हद दर्जे की उतावली बरती गयी। यह गौर करने की जरूरत महसूस नहीं की गयी कि सर्वोच्च न्यायालय ने 28 जनवरी 2011 के अपने फैसले में सामूहिक संपदा के निजी प्रयोजन हेतु इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है। यह कौन बतायेगा कि पोस्को कम्पनी मुनाफा कमाने का कारपोरेट का निजी उद्यम है या सार्वजनिक हित में तल्लीन उपक्रम?

दमन और प्रतिरोध का सिलसिला

किसी भी कीमत पर अपनी जमीन न छोड़ने के लिए उड़ीसा के जगतसिंहपुर

में लोगों की लड़ाई तब से जारी है जब 2005 में उड़ीसा सरकार एवं पोस्को कम्पनी के बीच हुए इकरारनामे के तहत सरकार ने पोस्को कम्पनी के लिए 1620 हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहीत करना चाहा। इस संघर्ष का ही नतीजा था कि केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पोस्को कम्पनी को दी हुई मंजूरी को खारिज कर दिया लेकिन उसके कुछ ही महीनों बाद, मई 2011 में, राज्य सरकार पर अपनी आस्था दिखाते हुए पोस्को को फिर से हरी झंडी दिखा दी।

2005 में हुआ इकरारनामा कानूनन 5 साल बाद यानी 2010 में खतम हो गया। केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी के बाद उड़ीसा सरकार तेजी से इस इकरारनामे का नवीनीकरण कराने में लग गयी। लोगों का संघर्ष तब और तेज हो गया जब सरकार ने अपने पुलिस एवं प्रशासनिक बल को जगतसिंहपुर में जमीन अधिग्रहण के लिए तैनात कर दिया। पुलिस बल ने कुछ गांव के पानवरज को तोड़ना शुरू कर दिया जिससे गांव के लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। लेकिन फिर भी लोग हिम्मत नहीं हारे, पोस्को के खिलाफ डटे रहे। गांव के चारों तरफ मानव श्रृंखला बना कर लोग पुलिस एवं प्रशासन का सामना करते रहे। बच्चों ने भी इसमें हिस्सेदारी निभायी। स्कूलों में तो पुलिस ने पहले से ही कब्जा कर रखा है। बच्चों के साथ महिलाएं भी धूप, बारिश की परवाह न करते हुए मानव श्रृंखला में आगे रहीं।

उड़ीसा के महिला एवं बाल कल्याण मंत्री का कहना है कि ‘बच्चों को इस तरह अपनी पढाई छोड़ कर संघर्ष में हिस्सेदारी नहीं निभानी चाहिए, और इसके लिए उनके मां-बाप जिम्मेदार हें।‘ लेकिन बच्चे कहते हैं जब हमारी जमीन जा रही है, हमारे मां-बाप अपना रोजगार, खेती खो रहे हैं तो भूख से मरने से अच्छा है कि वे संघर्ष में अपनी जान दे दें।

उधर, ढिंकिया और गोविन्दपुर समेत पास्को प्रकल्प में आनेवाले बाकी गांव के लोग धूप, बारिश और बीमारी को धता बताते हुए मानव श्रृंखला के तौर पर डटे रहे। विभिन्न जन संघर्षों के साथी और राजनीतिक दलों के नेता भी लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए लगातार वहां आते-जाते रहे। दिल्ली एवं बाकी शहरों में भी धरना-प्रदर्शन आयोजित होते रहे।

सरकारी दमन भी जारी रहा। 17 जुलाई 2011 को शांतिपूर्ण धरना दे रही महिलाओं पर नुआगांव में पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें 6 महिलाओं समेत दर्जनों लोग घायल हुए। एक महिला को गंभीर हालत में कुजंगा के सरकारी अस्पताल में भरती करना पड़ा। 15 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास की तरफ जुलूस ले जाते समय सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।

14 दिसंबर 2011 को दोपहर के लगभग डेढ़ बजे माफिया डान बापी के नेतृत्व में 5 सौ से ज्यादा हथियारबंद गुंडों ने पोस्को के विरोध में शांतिपूर्वक धरना दे रहे लोगों पर हमला बोला। हमलावर पारादीप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कौंसिल के बैनर के साथ थे और उन पर स्थानीय प्रशासन तथा पुलिस की छत्रछाया थी। हमले में पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति के 8 स्थानीय सदस्य घायल हुए। उनमें से एक की हालत बहुत गंभीर हो गयी।

उस दिन सुबह से ही 2 हजार से ज्यादा ग्रामीण पोस्को संयंत्र के लिए समुद्र किनारे बन रही सड़क का विरोध करने के लिए शांतिपूर्वक धरने पर बैठे थे। भाड़े के गुंडों ने उन पर बमों तथा हथियारों से हमला किया। हमले में एक गुंडा भी मारा गया। हमले को पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति ने कायराना तथा अलोकतांत्रिक करार दिया। साथ ही अपने शांतिपूर्ण आंदोलन को और मजबूती से चलाने का दृढ़ संकल्प दोहराया।

2 दिसंबर 2011 को पोस्को के अधिकारियों ने प्रस्तावित पोस्को संयंत्र की जगह पर निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए नुआगांव पंचायत में कार्यालय खोलने का निर्णय लिया। पोस्को कंपनी का एकमात्र कार्यालय कुजंग में है जोकि संयंत्र के प्रस्तावित स्थल से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। कंपनी के मुताबिक संयंत्र के निर्माण कार्यों तथा मुआवजे के वितरण की समुचित तरीके से निगरानी के लिए नुआगांव में कार्यालय खोलने की जरूरत है।

इससे पहले 25 नवंबर को नुआगांव के निवासियों ने कंपनी द्वारा 30 नवयुवकों को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देने की पेशकश एक बार फिर ठुकरा दी थी। कंपनी द्वारा दिये गये जूते तथा वर्दियां लौटा दी गयीं। गांववालों ने कंपनी द्वारा कार्यालय खोलने का विरोध करते हुए अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की।

इस बीच पोस्को विरोधी आंदोलन के नेता अभय साहू की गिरफ्तारी से प्रस्तावित संयंत्र स्थल पर सन्नाटा छा गया। किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए 2 दिसंबर 2011 को पुलिस बल की चार प्लाटून ने ढिंकिया गांव में फ्लैग मार्च किया। प्रदेश और देश के कई एक्टिविस्ट आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता दिखाने के लिए ढिंकिया पहुंचे। पोस्को विरोधी आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने ढिंकिया जानेवाले सारे रास्ते बंद कर दिये तथा वहां पर बैरिकेट्स लगा दिये।

3 दिसंबर 2011 को सीपीआई, सीपीएम, फारवर्ड ब्लाक, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी ने ढिंकिया में तटीय सड़क के निर्माण के विरोध

में अनिश्चित कालीन संयुक्त धरने की शुरूआत की। पोस्को संयंत्र को किसी और क्षेत्र में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए एलान किया कि जब तक सशस्त्र पुलिस की मदद से बन रही इस सड़क का निर्माण कार्य रोका नहीं दिया जाता, उनका धरना दिन-रात चलता रहेगा। कहा कि इस क्षेत्र में सशस्त्र पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च मानवाधिकारों का उल्लंघन है और यह मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की औपनिवेशिक सोच को दर्शाता है।

पेड़ों के रखवालों को जेल

पोस्को स्टील प्लांट तथा जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ गोविंदपुर तथा नुआगांव के सैकड़ो लोग रोजाना धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच सरकार ने नुआगांव में पेड़ काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार का 6 लाख पेड़ काटने का लक्ष्य है जिसमें लगभग तीन लाख पेड़ काजू तथा अन्य अत्यधिक उपयोगी प्रजातियों के हैं।

22 अगस्त 2011 को पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति के नेता अभिना राऊत तथा एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के स्टेट कमेटी के सदस्य सदाशिवा दास पर झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन्हें कुजंग जेल भेज दिया गया। उनका अपराध यह कि उन्होंने पेड़ काटने के विरोध की अगुवाई की थी।

आंदोलनकारी किसान को पुलिस ने गोली मारी

उड़ीसा के जगतसिंहपुर जिले के धिंकिया गांव में पुलिस ने खेत में काम कर रहे एक किसान के पैर में गोली मारी और उसे गिरफ्तार कर लिया। उमाकांत बिस्वाल नाम का यह किसान पोस्को विरोधी आन्दोलन से सक्रिय तौर पर जुड़ा हुआ था।

बिस्वाल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस सादी वर्दी में गांव पहुंची थी। यह भांप कर कि यह पुलिस के लोग हैं, वह भागने लगा। उसे भागना देख पुलिसवालों ने उसके पैर में गोली मार दी और गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में उसका उत्पीड़न भी किया गया जोकि सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधानों के खिलाफ है।

सीपीएचआरडी समेत ने मांग की कि दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित किया जाये और उमाकांत को रिहा किया जाये। पास्को प्रतिरोध सालिडेरिटी कमेटी, लोक शक्ति अभियान, एनएपीएम, समाजवादी जन परिषद, मीडिया एक्शन ग्रुप, पीयूसीएल, जन संघर्ष समन्वय समिति, नियमगिरि सुरक्षा समिति ने इस घटना की कड़ी निंदा की। इसे सरकार एवं पास्को कम्पनी की

मिलीजुली साजिश, मानवाधिकार एवं लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया।

धरना स्थल पर सम्मेलन

26 अगस्त 2011 को पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास कानून 2011 के मसौदे को लेकर धरना स्थल पर सम्मेलन आयोजित किया। इसमें विस्थापन के खिलाफ संघर्ष कर रहे अलग-अलग संगठनों तथा उड़ीसा के नागरिक समाज के सदस्यों ने हिस्सा लिया। सभी ने पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति के संघर्ष के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की और जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ साझा संघर्ष चलाने की जरूरत पर बल दिया।

सम्मेलन में मांग की गई कि भूमि अधिग्रहण एक्ट 1894 को तत्काल रद्द किया जाये। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण कानून में कृषि भूमि तथा वन भूमि अधिग्रहित करने पर रोक लगाने के प्रावधान हों। जो कृषि भूमि विभिन्न उद्योगों के लिए अधिग्रहित की जा चुकी है लेकिन अभी भी जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसे जमीन के असली मालिकों को वापस दिया जाये। उपजाऊ कृषि भूमि तथा ऐसी अन्य भूमि पर किसी तरह का औद्योगिक ढांचा न खड़ा किया जाये जो लोगों की आजीविका का साधन हो। सरकारी या निजी परियोजनाओं द्वारा लोगों को विस्थापित करने से पहले स्थानीय जनता को विश्वास में लिया जाये तथा उनकी सहमति ली जाये।

जिस वक्त इस संघर्ष को कुचलने के लिए सरकारें पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी हैं, उसी वक्त पर्यावरण की रक्षा, पानी के संकट, ग़रीबी उन्मूलन, जीडीपी में कृषि के योगदान को बढ़ाने, भ्रष्टाचार दूर करने आदि मसलों पर संसद में आंसू बहाये जा रहे हैं। सम्मेलन ने इसे जनता को भरमाने का भोंडा नाटक माना।

पोस्को कम्पनी की परियोजना के लिए केंद्र और राज्य सरकार कटिबद्ध हैं। कंपनी के हितों की रक्षा करने के लिए वे जनता के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने में जरा भी नहीं हिचकतीं। तो उड़ीसा के 'विकास पुरुष' नवीन पटनायक सशस्त्र बलों के कंधे पर चढ़ कर लम्बी छलांग लगाने के लिए उतावले हैं और इसके लिए वे अपने राज्य के नागरिकों के हितों को खूंटी पर टांग चुके हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय और पर्यावरण मंत्रालय के अलावा सर्वोच्च न्यायालय भी आखिरकार पोस्को के पक्ष में खड़ा नजर आता है।

वेदांता विरोधी आंदोलन

कारपोरेट और राजसत्ता बनाम आदिवासी

नियमगिरी का जुझारू जन आंदोलन अब निर्णायक स्थिति में है। खनन की स्वीकृति को लेकर आयोजित की गयी जन सुनवाई को लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। ज्ञात हो कि 13 अक्टूबर 2012 से वेदान्त की लांजीगढ़ स्थित रिफाइनरी बंद पड़ी है। यह आंदोलन के दबाव से ही संभव हो सका है।

उड़ीसा के कालाहाण्डी जिले का लांजीगढ़ ब्लाक भारतीय संविधान के तहत विशेष संरक्षण प्राप्त अनुसूचित क्षेत्रों में आता है। इसी स्थान पर वेदांता कंपनी ने अपना अलमुनाई प्लांट लगा रखा है और इसी क्षेत्र में स्थित नियमगिरि पहाड़ के बेशकीमती बाक्साइट पर उसकी ललचाई निगाहें लगी हुई हैं। स्थानीय ग्रामवासी, आदिवासी अपनी जमीन, जंगल, नदी, झरने, पहाड़ बचाने की लड़ाई लगातार लड़ते आ रहे हैं।

6 दिसम्बर 2012 को लांजीगढ़ ब्लाक कार्यालय पर वेदांता कंपनी, उड़ीसा सरकार एवं केंद्र सरकार के विरोध में लगभग 20 हजार आदिवासियों ने प्रदर्शन कर एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञात रहे कि वेदांता कंपनी की बाक्साइट माइनिंग पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 2010 में रोक लगा दी गई थी।

परंतु उड़ीसा सरकार ने वेदांता कंपनी की बाक्साइट माइनिंग पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लगायी गयी रोक को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। राज्य सरकार का कहना था कि पर्यावरण मंत्रालय का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवमानना है। सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि यदि राज्य सरकार केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना मानती है तो अवमानना की याचिका दायर कर सकती है। इस याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय की ग्रीन बैच में 23 नवम्बर से 26 नवम्बर 2012 को सुनवाई की तारीख घोषित हुई। इसके विरोध में नियमगिरि सुरक्षा समिति, सचेतन नागरिक मंच, लैण्ड लूजर्स एसोसिएशन जैसे स्थानीय संगठनों के साथ समाजवादी जन परिषद के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू कर दिया। इस कारण सुनवाई की तारीख अगले साल तक खिसकानी पड़ी।

बाक्साइट माइनिंग के विरोध में 22 नवम्बर से 27 नवम्बर 2012 तक चले

सिलसिले के तहत कालाहांडी जिलाधिकारी कार्यालय, लांजीगढ़ एसडीएम कार्यालय, रायगडा के कल्याणसिंहपुर, बिसनकटक और मुनिगुडा स्थित एसडीएम कार्यालयों पर प्रदर्शन हुए एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे गये। बाबा साहब अंबेडकर निर्वाण दिवस पर लांजीगढ में वेदांता कंपनी के विरोध में प्रदर्शन हुआ। इस मौके पर राज्यपाल के नाम भेजे गये ज्ञापन में मांग की गई कि- वेदांता कंपनी के साथ समझौता रद्द किया जाय, वेदांता कंपनी की बाक्साइट माइनिंग रद्द की जाय, आंदोलनकारियों पर फर्जी केस वापस लिये जाय, वेदांता कंपनी के विस्थापितों का उचित पुनर्वास किया जाय, शिक्षा और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की जाय।

आदिवासी क्षेत्रों को मिले विशेष संवैधानिक संरक्षणों को धता बताने की घटनाएं यहां आम हो चली हैं। संवैधानिक प्रावधानों तथा पेसा कानून की धज्जियां उड़ायी जा रही हैं, ग्राम सभा की सहमति और प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं रह गया है। वेदांता कंपनी सरकारी अमले की मदद से आदिवासियों की जमीनें तथा प्राकृतिक संसाधनों को लूटने में लगी है। इसका विरोध करनेवाले राज्य तथा कारपोरेट हिंसा का शिकार बनाये जाते हैं, जेल में निरूद्ध किये जाते हैं तथा कई दिनों हवालात में रखे जाते हैं।

नियमगिरी पहाड़ियों में आज डोंगरिया कोंध जनजाति के सिर्फ़ 7,950 लोग बचे हैं। सदियों से वे उड़ीसा के दूरस्थ हिस्से में स्थित नियमगिरि के जंगलों में रह रहे हैं। वे ज्वार-बाजरा की खेती करते हैं, जंगल से फल-फूल और जड़ी-बूटी एकत्र कर उसे शहर-कस्बों में बेचते हैं। उनके जीवन यापन का यही आधार है।

डोंगरिया जीववादी होते हैं। उनके अनुसार हर पहाड़ किसी ख़ास देवता का निवास होता है।

डोंगरिया कोंध के बीच काम कर रहे युवा कार्यकर्ता सिवसंकर भुई कहते हैं कि जंगल से उन्हें बहुत कुछ मिलता है, जंगल उनके लिए स्वर्ग के समान है। वे डोंगरिया कोंध जनजाति के उन गिनेचुने लोगों में से हैं जिन्होंने औपचारिक शिक्षा ग्रहण की। अब वे अपनी जनजाति के जीने के तरीक़े को सुरक्षित रखने के लिए लड़ रहे हैं। यहां के तमाम गांव आज भी आधुनिक दुनिया से कोसों दूर है- न तो बिजली है, न स्कूल हैं, न टीवी है और न ही टेलीफ़ोन।

भूमि की लूट के विरोधी जेल के सींखचों के पीछे

जमीन की लूट का विरोध करोगे तो भुगतोगे। कालाहाण्डी जिले के लांजीगढ़ थाना क्षेत्र के रेंगोपाली गांव में 21 जनवरी 2012 को यही साबित हुआ। इस गांव में वेदांता कंपनी ने अपना 'रेड पाण्ड' बना रखा है। उसके बीच से एक रास्ता है जो रेंगोपाली और बसंतपाड़ा गांव को जोड़ता है। 21 जनवरी को बिना किसी पूर्व सूचना के वेदांता कंपनी एवं उड़ीसा सरकार के कारिंदे इस रास्ते को खोदने लगे। सरकारी अमले में बीडीओ, तहसीलदार, थानाध्यक्ष तथा भारी पुलिस बल शामिल थी। गांववालों ने ग्राम सभा की अनुमति लेने तक काम रोकने की बात कही। इससे बात नहीं बनी तो लोग काम बंद करवाने के लिए आगे बढ़े कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। 25-30 महिलाओं समेत सैकड़ों लोग घायल हो गये। 55 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। दो दिन उन्हें जिला मुख्यालय भवानीपटना की पुलिस लाइन में रखने के बाद 47 लोगों को जेल भेज दिया गया।

इस घटना की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गयी। अगले दिन रेंगोपाली एवं केन्दुबुड्डी गांव की महिलाओं ने नियमगिरि सुरक्षा समिति, लैण्ड लूजर्स एसोसिएशन, तथा सचेतन नागरिक मंच की संयुक्त पहल पर लांजीगढ़ थाने के अंदर घुस कर धरना आरंभ कर दिया। पुलिस की धमकी-धौंस कारगर नहीं हो पायी। लगभग 24 घण्टे बाद मजबूरन बीडीओ और तहसीलदार को धरना दे रही महिलाओं के बीच आना पड़ा, काम रूकवाने की घोषणा करनी पड़ी तथा कहना पड़ा कि पंचायत चुनावों के बाद ग्राम सभा की सहमति मिलने के बाद ही काम करवाया जायेगा। इसके बाद ही 23 जनवरी 2012 की शाम को धरना समाप्त हुआ।

धरना समाप्त होने के तुरंत बाद नियमगिरि पहाड़ के ऊपरी हिस्से में बसे गांव लाखपादर में तय हुआ कि गिरफ्तार साथियों की रिहाई तथा कंपनी एवं सरकारी दमन के विरोध में 26 जनवरी को पूरे इलाके में गणतंत्र दिवस को

‘काला दिवस’ के रूप में मनाया जायेगा। इसकी तैयारी के लिए 25 जनवरी को फुलडोमर एवं चन्दनपुर गांवों में बैठकें की गयीं जिसमें दर्जनों गांवों के लोगों ने हिस्सा लिया। निर्णय हुआ कि 26 जनवरी को जगन्नाथपुर गांव से जुलूस निकाला जायेगा और थाने पर प्रदर्शन किया जायेगा। इसे व्यापक बनाने के लिए नतन बोत्तेलिया, चन्दनपुर, हरे कृष्णापुर, केन्दुगुडी, चनालेमा, कमन खुटी, कोरला, जुड़ाबंद, रघुनाथपुर, बलभद्रपुर, बिसनाथपुर आदि गांवों में भी बैठकें हुईं।

26 जनवरी को दोपहर तक कई हजार आदिवासी तथा स्थानीय निवासी जगन्नाथपुर में जमा हो चुके थे। छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान तथा एसपीओ भी भारी संख्या में मुस्तैद थे। पुलिस की गाड़ियां उन रास्तों पर भी खड़ी की गयी थीं जहां से होकर लोगों को आना था ताकि लोग डर कर वापस चले जायें पर यह चाल काम न आयी। लांजीगढ़ की दुकानें पुलिस ने बंद करा दीं। ट्रैफिक रोक दिया तथा थाने को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। लांजीगढ़ थाने के ठीक सामने गणतंत्र दिवस का आयोजन लांजीगढ़ युवक संघ ने वेदांता कंपनी के सहयोग से किया गया था जिसे जल्दी ही समाप्त करा दिया गया।

दोपहर बाद हाथों में काले झण्डे लिये आदिवासियों का जुलूस जगन्नाथपुर से निकल कर तीन किमी आगे लांजीगढ़ थाने पहुंचा। मानव श्रृंखला बनाकर थाने की इमारत को चारों तरफ से घेर लिया गया। अपने साथियों की रिहाई समेत वेदांता कंपनी एवं सरकार विरोधी नारे लगे। अपना जल, जंगल, जमीन, खनिज न छोड़ने का संकल्प दोहराया गया।

जिंदल स्टील का विस्थापितों पर नृशंस हमला

सरकारी दमन और कारपोरेट हिंसा का सामना करते हुए उड़ीसा के तमाम जन संघर्ष अपने वन, जल, भूमि, खनिजों और अन्ततः अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्षरत हैं। पास्को एवं वेदांता कंपनी के अलावा जिंदल कंपनी के खिलाफ भी संघर्ष तीखा होता जा रहा है।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ इलाके में सरकारी शह से दमन-उत्पीड़न करने के बाद 'राष्ट्रीय ध्वज' के महान प्रेमी कांग्रेसी सांसद नवीन जिंदल अब उड़ीसा के अंगुल क्षेत्र में भी अपनी हिंसावादी 'अहिंसा' तथा लूट आधारित 'देशभक्ति' और अवैधानिक 'कानूनी राज' के सहारे निर्मम दमन-उत्पीड़न पर आमादा हैं। जब देश गणतंत्र दिवस के जश्न की तैयारी कर रहा था, उसी समय 25 जनवरी को अंगुल में पुलिस दमन का सामना करते हुए स्थानीय लोग गणतंत्र के असली चेहरे से रूबरू हो रहे थे।

19 जनवरी 2012 को कालियाकता गांव (जोकि पूरी तरह से विस्थापित हो चुका है) के लोग कंपनी के अधिकारियों को अपना दुखड़ा सुनाने कंपनी के कार्यालय पहुंचे, किंतु कंपनी के सिक्योरिटी गाड्र्स ने अपने अधिकारियों के कहने पर गांववालों के साथ न सिर्फ दुर्व्यवहार किया बल्कि उनके साथ मारपीट भी की। मारपीट में गर्भवती महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। कंपनी की धोखाधड़ी तथा दमनकारी रवैये से आहत और नाराज 40 गांवों के लगभग 4 हजार प्रभावित लोगों ने प्रदर्शन आयोजित किया। इसके बाद प्रभावित लोगों ने निर्माण कार्य को शांतिपूर्ण तरीके से रोक दिया। ऐसे में कंपनी तथा सरकारी अधिकारियों ने स्थानीय निवासियों के साथ 24 जनवरी 2012 को बड़ा केरेजेंग विरनकेश्वर मंदिर में साझा बैठक करने का वादा किया। मगर तय दिन पर कंपनी का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। इसलिए गांववालों ने अगले दिन कंपनी के अधिकारियों से मिलने का निर्णय किया।

अगले दिन 25 जनवरी 2012 को भी लगभग चार हजार विस्थापित लोग शांतिपूर्ण तरीके से कंपनी के सुर्बानपुर गेट पर एकत्रित हुए। इनमें महिलाएं

तथा बच्चे भी शामिल थे। मौके पर कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स तथा जिले व स्थानीय पुलिस थाना (निशा सिलपांचल थाना) के अधिकारी व मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। अपनी शिकायत लेकर पहुंचे लोगों को कंपनी के गेट से अंदर आने दिया गया। सबसे आगे महिलाएं थीं। अचानक कंपनी के सिक्योरिटी गाडर्स ने इस निहत्थी जनता पर हमला कर दिया। इस वहशियाना हमले में 94 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सौ से अधिक लोगों को मामूली चोटें आयीं। हमले का निशाना मां की गोद से चिपके छोटे बच्चे भी बने। जिंदल कंपनी के वर्दीधारी गुंडों ने औरतों के कपड़े फाड़ दिये तथा बेरहमी से उन्हें अपने जूतों तले रौंदा।

स्थानीय पुलिस ने कंपनी के हमलावर सिक्योरिटी गाडर्स का पूरा सहयोग किया। पुलिस तथा कंपनी के अधिकारियों ने घायल मरीजों को किसी भी प्रकार की मदद नहीं पहुंचाई। घायलों को किसी तरह अंगुल अस्पताल ले जाया गया। गंभीर रूप से घायलों को कटक तथा भुवनेश्वर के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। हमले से मामला बिगड़ता देख प्रशासन ने ग्रामीणों की शिकायत पर जिंदल स्टील प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठतम सुरक्षा अधिकारी केके चोपड़ा और कंपनी की अंगुल इकाई के हेड अजीत सिंह को गिरफ्तार किया।

कंपनी की वादाखिलाफी के खिलाफ लम्बे समय से लोग संघर्ष कर रहे हैं लेकिन एकाएक स्थितियां तब गंभीर बनीं जब कंपनी ने भूमि अधिग्रहण से प्रभावित गांवों में कंपनी की चारदीवारी के पूरा होते ही प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजे का भुगतान और उन्हें जल आपूर्ति आदि की सुविधाओं को बंद कर दिया। यह कारनामा अक्टूबर 2011 से आरंभ हुआ था।

प्रभावित ग्रामीण कंपनी के अधिकारियों, अंगुल जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार को अपनी समस्याओं से लगातार अवगत कराते रहे, मांग पत्र देते रहे, धरना-प्रदर्शन करते रहे और कंपनी की मनमानी का विरोध करते रहे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी और ग्रामीणों की बातों को अनसुना किया जाता रहा। ग्रामीण जब कंपनी के अधिकारियों से मिलने का प्रयास कर रहे थे तो उन्हें 19 जनवरी 2012 को सुरक्षाकर्मियों द्वारा अपमानित किया गया, 24

जनवरी को बातचीत करने के वादे के बावजूद कंपनी एवं सरकार के अधिकारी नहीं आये और 25 जनवरी को ग्रामीणों की निर्ममता से पिटाई की गयी।

वायदाखिलाफी और दबंगई भी

जिंदल स्टील प्राइवेट लिमिटेड ने सरकार की मदद से अंगुल जिले के बानरपाल एवं छेंदीपाडा ब्लाकों की 64 हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण करके 2006 में निर्माण कार्य शुरू किया। प्रस्तावित जिंदल स्टील प्लांट के कारण 40 गांवों के 25 हजार परिवारों की लगभग 1 लाख आबादी सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है।

भूमि अधिग्रहण के समय जिंदल कंपनी ने प्रभावित ग्रामीणों को स्थायी नौकरी, तकनीकी प्रशिक्षण देने और बेरोजगारों-बुजुर्गों को क्षतिपूर्ति भत्ता देने के साथ ही क्षेत्र का विकास, सुविधाओं का विकास, समुचित ढंग से पुनर्वास का वादा किया था। अब जब प्रभावित और विस्थापित लोग इन वादों को पूरा करने के लिए दबाव बना रहे हैं तो उन्हें राज्य एवं कारपोरेट हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है तथा उनकी बस्तियों को जल की आपूर्ति भी बंद कर दी जा रही है।

25 जनवरी की हिंसात्मक घटना तथा कंपनी-शासन की निर्मम कार्रवाई के लिए प्रशासन ने 12 प्लाटून तैनात कर रखी थी। कंपनी के सुरक्षाकर्मी और भाड़े के गुण्डे भी तैनात थे। यह एक पूर्व नियोजित हमला था ताकि लोगों को ऐसा सबक सिखाया जाय जिससे वे फिर कभी अपनी मांगों को सामूहिक रूप से उठाने की हिम्मत न कर सकें। इतने जुल्म और आतंक के बाद भी लोग डिगे नहीं बल्कि उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और कंपनी की साइट पर किसी भी तरह के निर्माण कार्य को होने से रोके रखा। धरने और भूख हड़ताल का सिलसिला जारी रहा।

8 फरवरी को क्षतिग्रस्त प्रजासंघ (प्रभावित लोगों का संगठन जो इस जन संघर्ष की अगुवाई कर रहा है) ने 12 घण्टे की बजाय चौबीसों घण्टे क्रमिक अनशन जारी रखने का निर्णय लिया है। यह धरना कंपनी के गेट पर लगा। कहना होगा कि प्रजासंघ बहुत मजबूती से कंपनी के खिलाफ आंदोलन कर रहा है।

3 फरवरी को महिला आयोग की सचिव/सदस्य ने अंगुल अस्पताल आकर

घायल महिलाओं के बयान लिये। राज्य महिला आयोग ने इस घटना पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अंगुल के एसपी को निर्देशित किया कि वे दोषी लोगों के खिलाफ समुचित कार्रवाई करें।

15 फरवरी 2012 को कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने प्रोजेक्ट साइट पर आंदोलनकारियों से मुलाकात कर घटना के प्रति दुःख व्यक्त किया। कहा कि उनकी कंपनी सामाजिक रूप से जिम्मेदार है और जनता के हित में काम करेगी। इस मौके पर आंदोलनकारियों ने घोषणा की कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जातीं, तब तक वे संघर्ष जारी रखेंगे।

मांगों की सूची:

प्रत्येक विस्थापित-प्रभावित परिवार को जाब कार्ड दिया जाय। अपनी जमीन खो चुके किसानों को 50 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाय तथा उन्हें कंपनी में काम दिया जाय। विस्थापितों-प्रभावितों के परिवार के युवकों-युवतियों को योग्यता के अनुसार कंपनी में स्थाई नौकरी दी जाये तथा उन्हें तकनीकी शिक्षा भी उपलब्ध करायी जाये। प्रत्येक विस्थापित-प्रभावित ग्रामवासी को अनिवार्य रूप से कंपनी का शेयर होल्डर बनाया जाय, उनके लिए कंपनी में 90 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जायें तथा उनकी अविलंब नियुक्ति की जाये और यह कंपनी की गाइडलाइंस के मुताबिक हो। कंपनी में पहले से काम कर रहे या सक्षम प्रभावितों-विस्थापितों को स्थायी किया जाये। प्रभावितों-विस्थापितों में से यदि कोई व्यक्ति कंपनी में काम नहीं करना चाहता तो उसे एकमुश्त 50 लाख रुपये दिये जायें।

50 वर्ष से अधिक उम्र के या विकलांग प्रभावितों-विस्थापितों को 5 हजार रुपये महीना गुजारा भत्ता दिया जाये। अधिग्रहीत क्षेत्र के तालाबों तथा वृक्षों का उचित दाम एकमुश्त अदा किया जाये।

अधिग्रहीत क्षेत्र में आनेवाली गोचर भूमि, दाह संस्कार के लिए आरक्षित भूमि और तालाब के बदले उतनी ही भूमि पक्के पट्टे के रूप में दी जाये। विस्थापित-प्रभावित परिवारों को आवास तथा आवासीय स्थल के पास (रहन-सहन के लिए) भूमि का स्थायी पट्टा दिया जाये।

बिजलीकरण, पौध रोपण, कृषि मशीनों की आपूर्ति, खेलकूद का मैदान, स्कूल, रोड, पेयजल की आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, खाद्यान्न का स्टाक तथा दुर्घटना

आदि में मदद जैसे विकास के कार्य कंपनी क्षतिग्रस्त प्रजासंघ के माध्यम से क्रियान्वित कराये। विस्थापित-प्रभावित लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं तथा उनके बच्चों को कंपनी के स्कूल में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाये।

राज्य सरकार की नीति का पालन करते हुए कंपनी भूजल का इस्तेमाल न करे। कंपनी का पावर प्लांट तब तक बंद रखा जाये, जब तक कंपनी नदी से पानी का इंतजाम नहीं कर लेती। कालियाकता गांव की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा तुरंत दिया जाय तथा ग्रामीणों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाये। 25 जनवरी 2012 की घटना में घायल लोगों के चिकित्सकीय नियमानुसार खर्चों का भुगतान कंपनी एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जाये। कंपनी एवं प्रशासन निर्दोष लोगों पर लगाये गये मुकदमे वापस ले।

खेती की ज़मीन का अधिग्रहण सबसे बड़ा अन्याय

जेपी पावर प्लांट के लिए 2010 में 22 सौ बीघा ज़मीन अधिग्रहीत की गयी। सरकार ने ज़मीन का मुआवज़ा बाज़ार दर से दस गुना कम तय किया- कुल तीन लाख रूपये प्रति बीघा जबकि तब ज़मीन का बाज़ार भाव था 30 लाख रूपये प्रति बीघा। इस मुद्दे पर अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा दूसरे संगठनों के साथ मिल कर संघर्षरत है। इस अन्याय के ख़िलाफ़ चल रहे किसानों के तीखे विरोध का नतीज़ा है कि उक्त ज़मीन की घेराबंदी भी पूरी नहीं की जा सकी है।

केन्द्र सरकार के भूमि अधिग्रहण के ताजा प्रस्ताव की कड़े शब्दों में निन्दा की जानी चाहिए। शरद पवार पैनल का 67 फीसदी लोगों की अनुमति लेने व सोनिया गांधी के 80 फीसदी स्वीकृति का प्रस्ताव जनविरोधी है। खेती की जमीन पर उद्योग लगाना, बड़े बांध बनाना और शहरीकरण करना विदेशी कम्पनियों, माफिया व दलालों के पक्ष में काम करना है और जनता के हित की अनदेखी करना है। इससे बेरोजगारी बढ़ेगी और जनता की जीविका के छोटे साधन बड़े अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के हाथ में चले जायेंगे।

भारत की खेती की जमीन उदारीकरण के दौर में घटती जा रही है जहां लगभग 50 फीसदी भारत का भूभाग खेती के लिए प्रयुक्त होता है। 1966 में यह 1153 लाख हेक्टेयर था जो 1980-81 व 1990-91 में बढ़ कर क्रमशः 1266.7 व 1278.4 लाख हेक्टेयर हो गया। भारत में लगभग 1590 लाख हेक्टेयर जमीन खेती योग्य मानी जाती है। पर भारत के प्राकृतिक संसाधनों को उदारीकरण के दौर में विदेशियों को बेचने की होड़ में भारत के शासक वर्गों ने इस खेती योग्य भूभाग को बढ़ाने की जगह और घटा दिया। 2003-04 में यह 1233.2 लाख हेक्टेयर रह गया।

सरकार द्वारा विदेशी निवेश के माहौल को सुधारने की होड़ में भूमि की दरें तेजी से बढ़ी हैं और कृषि भूमि का अनुपयोगी इस्तेमाल बढ़ता चला गया है। आज खेतों में फसलों की जगह कंक्रीट के जंगल खड़े होते जा रहे हैं। इसके कारण खाद्य असुरक्षा, ग़रीबी और भुखमरी बढ़ी है।

यह चिंता की बात है कि अनाज के उत्पादन के क्षेत्रफल में इधर तेज गिरावट आयी है। 2007-08 में 1240.68 लाख हेक्टेयर में अनाज पैदा होता था जो 2008-09 में घट कर 1228.32 और 2009-10 में केवल 1213.66 लाख हेक्टेयर रह गया। देश की खाद्यान्न सुरक्षा की हालत बेहद चौंकानेवाली है और प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता लगभग 1955-60 के दौर जैसे हालात में पहुंच चुकी है। 1951 में प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता 394 ग्राम थी जो 1956 में बढ़ कर 430.7 ग्राम और 1980 के दशक में 510 ग्राम हो गयी। हाल में यह घटते -घटते 2008 में 436 ग्राम रह गयी। यह गिरावट लगातार जारी है।

प्राकृतिक संसाधनों को कौड़ी के दाम बेचना बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और साम्राज्यवादी देशों की मांग का हिस्सा है जिसके आधार पर वे भारत में निवेश करने के लिए राजी हो रही हैं। डालर संग्रह की असीमित भूख के चलते भारत सरकार उनकी शर्तें स्वीकार कर खेती की जमीन, वन, जल व खनिज आदि संसाधनों को इन कम्पनियों को बेचने को तत्पर है और इसे भारत का विकास प्रचारित कर रही है। इस डालर आमदनी का बड़ा हिस्सा विदेशों में अनुपयोगी खर्च में जाता है जिसमें हथियारों की खरीद और उसके लिए दिया जानेवाला भारी कमीशन भी शामिल है। विदेशों में जमा काला धन लाखों करोड़ डालर है और उसका सारा बोझ भारत की जनता पर पड़ रहा है जिसे अपनी जीविका के संसाधन खो कर इसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है।

आंदोलनकारियों की मांग है कि भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव फ़ौरन वापस लिया जाये। लोगों से अपील है कि वे खेती की जमीन पर उद्योग लगाने का पुरज़ोर विरोध करें और खेती की सारी अधिग्रहीत जमीन वापस किये जाने के लिए संघर्ष करें। सरकार पर दबाव बनायें कि वह मुफ्त में सिंचाई, जल संरक्षण, भूमि वितरण, सस्ती खाद और बीज आदि की व्यवस्था करे, कि औद्योगिक विकास का कार्य बन्द उद्योगों की जमीन पर या गैर खेती की जमीन पर ही किये जाने का फ़ैसला करे।

करछना भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन

जीत के बावजूद संकट बरकरार

हाईकोर्ट ने 13 अप्रैल 2012 को करछना में प्रस्तावित जेपी ग्रुप के थर्मल पावर प्लांट के लिए भूमि का अधिग्रहण रद्द करते हुए कहा कि किसान मुआवजा लौटा दें तो उनकी जमीनें वापस कर दी जायें। लेकिन अदालत ने जेपी ग्रुप के ही बारा पावर प्रोजेक्ट के मामले में किसानों की याचिका को खारिज कर दिया।

बारा पावर प्रोजेक्ट के विरोध में दायर याचिका इस आधार पर रद्द की गयी कि वहां निर्माण का कार्य काफी आगे बढ़ चुका है और इसलिए भूमि अधिग्रहण रद्द किया जाना मुमकिन नहीं है। इस फैसले के लिए कोर्ट ने नोएडा भूमि अधिग्रहण मामले में गजराज सिंह केस का हवाला दिया। करछना मामले में कोर्ट ने कहा कि अभी तक पावर प्रोजेक्ट का कार्य शुरू नहीं किया गया है। अदालत ने राज्य सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि किसानों के आंदोलन के ही कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका था। कोर्ट ने माना कि भूमि का अधिग्रहण मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता और किसानों की आपत्तियों को सुनना आवश्यक है। वैसे, सरकार को नये सिरे से भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई करने की छूट भी रहेगी। मतलब कि करछना के किसानों के सर पर मंडराते बादल अभी पूरी तरह छंटे नहीं हैं।

करछना में भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना 23 नवंबर 2007 और फिर 3 मार्च 2008 को जारी की गई। करछना के मामले में न्यायालय ने प्रदेश सरकार को छूट दी कि वह चाहे तो कानून के मुताबिक नये सिरे से अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ कर सकती है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने करछना के देवरीकला, कचरी, कचरा, मेरड़ा, टोलीपुर, देलही भगेसर, भिटार और खई गांवों की 571 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर उसे जेपी ग्रुप को हस्तांतरित कर दिया था। प्रदेश सरकार ने अर्जेंसी क्लाज के तहत भूमि का अधिग्रहण यह कह कर किया था कि उस पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा पावर प्लांट लगाया जायेगा।

लेकिन अंततः करछना के किसानों के आंदोलन के चलते भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई सफल नहीं हो सकी और किसानों की जीत हुई।

यह अदालती फैसला पुनर्वास किसान कल्याण सहायता समिति के अनवरत अनशन के 604 वें दिन आया। इससे प्रभावित होनेवाले किसानों को बड़ी राहत मिली लेकिन यह उन किसानों के लिए बड़ी आफत भी है जिनसे मुआवजे का पैसा खर्च हो चुका है। आंदोलनकारी किसान मुआवजा लौटाये जाने की शर्त को अपने साथ ज्यादती मानते हैं। उनका कहना है कि वे पहले खेती से प्रति बीघा साल भर में तकरीबन एक लाख रुपये कमा लेते थे। चार साल तक खेती न होने के कारण उन्हें चार लाख रुपये का नुकसान हुआ जबकि सरकार ने जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों को तीन लाख रुपये प्रति बीघा की दर से मुआवजा दिया था। ऐसे में किसानों को प्रति बीघा एक लाख रुपये का सालाना नुकसान उठाना पड़ा।

पावर प्लांट के लिए कुल 1920 काश्तकारों से जमीन ली गई थी लेकिन मुआवजा 1850 काश्तकारों को दिया गया जबकि शेष 70 काश्तकारों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। पावर प्लांट के विरोध में करछना में कई बार बवाल हुआ। अंततः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण पर विराम लगा दिया।

इसके अलावा करछना पावर प्लांट को लेकर पूर्व में जो भी आंदोलन हुए, उसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने किसानों पर ढेरों मुकदमे लाद दिये। अब तक मुकदमे वापस नहीं लिये गये हैं।

संघर्ष की शुरूआत

15 दिसंबर 2007 को जेपी पावर प्लांट के लिए करछना के आठ गांवों की जमीन को अधिग्रहीत किये जाने की अधिसूचना जारी हुई थी। इसी के साथ किसानों को उनकी जमीन के एवज में नौकरी, घर, मुआवजा, बेहतर सुविधाएं वगैरह का लालच दिया जाना शुरू हुआ। दूसरी तरफ कचरी गांव (पावर प्लांट का मुख्य निर्माण यहीं होना था) के दर्जनों किसानों ने अधिग्रहण के खिलाफ प्रशासन को आवदेन सौंपने में तनिक देरी नहीं की। लेकिन इसे अनदेखा करते हुए अधिग्रहण संबंधी प्रशासनिक कार्रवाइयां जारी रहीं। आखिरकार अप्रैल 2008 में सात किसानों की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में भू-अधिग्रहण की योजना को

चुनौती दी गयी।

अभी अदालत में मामला चल ही रहा था कि लेखपालों के माध्यम से जिला प्रशासन ने किसानों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 9 की नोटिस जारी कर दी और उस पर प्रभावितों के हस्ताक्षर करवा लिये। तारीख का हिस्सा बाद में भरने के लिए खाली रखा गया। जिन्होंने तारीख डाल दी थी, उसे मन मुताबिक दुरूस्त कर दिया गया। अदालत से इसकी भी शिकायत की गयी।

इसके दो दिन बाद ही, 23 अप्रैल 2008 को, अदालत ने अधिग्रहण पर स्थगन आदेश दे दिया। किसानों के लिए यह पहली जीत थी लेकिन फौरी थी। प्रशासन ने तारीखों का फर्जीवाड़ा करते हुए बिना किसानों को सूचना दिये भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाएं जारी रखीं। इस तरह किसानों की आपत्तियों को अनदेखा करते हुए लक्षित आठ गांवों की 17 सौ हैक्टेयर खेती की सिंचित जमीन को कागजों में बंजर और असिंचित बता दिया गया और फरवरी 2009 में उसे जेपी ग्रुप के नाम कर दिया गया।

सरकार की इस कंपनी परस्ती से असंतोष और गुस्से की आग सुलगती रही। अप्रैल 2010 को करछना में इस बावत पहली किसान सभा का आयोजन तय हुआ लेकिन पुलिसिया फौजफाटे ने भय का डंडा चला कर कार्यक्रम को तहस-नहस कर दिया और एक कार्यकर्ता को भी धर दबोचा जिसे भारी विरोध के बाद रिहा किया गया। इस घटना ने किसानों के विरोध को और गाढ़ा कर दिया।

यहीं से आंदोलनरत किसानों और अड़ियल प्रशासन के बीच जोर-आजमाइश का सिलसिला शुरू हुआ। आंदोलित किसानों ने क्रमिक अनशन और अदालत का भी सहारा लिया तो प्रशासन ने पुलिस से लेकर गुंडों तक की सेवाएं लेने से परहेज नहीं किया। लेकिन किसानों का आंदोलन भारी पड़ा और जबरन अधिग्रहीत की गयी जमीन पर निर्माण कार्य नाम भर के लिए भी शुरू नहीं हो सका। किसानों के पक्ष में आये हाईकोर्ट के फैसले का यही सबसे बड़ा आधार था।

संघर्ष का दूसरा चरण

पिछली मायावती सरकार की मंशा जेपी कंपनी को किसी तरह किसानों की

जमीन हवाले कर देने की थी। इसके लिए हर तरीका आजमाया गया। इलाहाबाद प्रशासन ने अपने लिखित समझौते को मानने से इंकार कर दिया। हद तो यह कि न्यायालय में लंबित वादों के फैसलों का भी इंतजार करने को तैयार नहीं हुआ। आंदोलनकारी किसानों पर आपराधिक मुकदमे ठोंके गये। पुलिस ने लोगों पर लाठियां भांजी, गोलियां चलायीं लेकिन किसान पीछे नहीं हटे। इलाहाबाद, लखनऊ और नयी दिल्ली में भी अपनी आवाज उठाते रहे। न्यायालय की भी शरण में गये।

मामला अदालत में पहुंचा तो प्रशासन ने याचिकाकर्ताओं पर याचिका वापस लेने का दबाव बनाना शुरू किया। धमकी देने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस पर छोड़ दी गयी। एक याची रामतौल के बेटे सुभाष को करछना थाना ले जाया गया। एसडीएम की मौजूदगी में उसे धमकी दी गयी कि अपने बाप को याचिका वापस कराओ, नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार रहो। याचिका वापस नहीं हुई तो धमकी पर अमल हुआ। सुभाष को आपराधिक धाराओं में जेल भेज दिया गया। इसी तरह याची राज बहादुर के भाई तेज बहादुर और राधेश्याम को और याची रामहित के लड़के हरिश्चन्द्र व प्रदीपकुमार को लोक सम्पत्ति क्षति अधिनियम के तहत फंसाया गया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद स्थानीय पुलिस ने आधी रात उनके घर पर दबिश डाली, महिलाओं और बच्चों के साथ बेहूदा सलूक किया। इससे इलाके के किसान दहशत में आ गये और कुछेक ने करारनामे पर दस्तखत कर दिये।

लेकिन बाकी किसान पीछे नहीं हटे। डर कर करारनामे पर दस्तखत करनेवालों को भी अपनी बुजदिली का अहसास हुआ और वे भी कंपनी के विरोध में वापस लौट आये। जाहिर है कि किसानों की बढ़ती एकजुटता जेपी ग्रुप के हित में नहीं थी। डर का माहौल पैदा कर उसे तोड़ने के लिए 28 जून 2010 को 16 किसानों तथा 150 अज्ञात किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी गयी। 18 जुलाई की भोर होने से पहले किसान नेता रामचन्द्र को पुलिस ने घर से गिरफ्तार किया तथा रंगबली पटेल के घर में घुस कर तोड़फोड़ की। लेकिन यह दांव उल्टा पड़ा। रामचन्द्र की गिरफ्तारी की खबर तेजी से आसपास के गांवों में फैली और गुस्साये किसानों इलाहाबाद-मिर्जापुर राजमार्ग का चक्का जाम कर दिया। आखिरकार प्रशासन रामचन्द्र को रिहा करने पर बाध्य हुआ।

इसी के साथ फर्जी मुकदमों को वापस करने की मांग के साथ 22 जुलाई से

कचरी गांव में क्रमिक अनशन शुरू हो गया। याद रहे कि कचरी गांव प्रस्तावित जेपी पावर प्लांट का मुख्य स्थान है तथा आंदोलनकारियों का गढ़ भी। कोई चार माह बाद 9 दिसंबर 2010 को जिला अधिकारी पूरे सरकारी अमले के साथ अनशन स्थल पहुंचे। किसानों की 14 में से 9 मांगें मानने तथा शेष 5 मांगों को उचित कार्यवाही हेतु प्रदेश शासन को भेजने का लिखित वादा किया।

प्रशासन द्वारा निर्धारित समय में अपना वादा पूरा न करने से नाराज किसानों ने 4 जनवरी 2011 से आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसके दो हफ्ते बाद 21 जनवरी 2011 को एक बार पुलिस और प्रशासन की फौज पहुंची और लोगों पर हमला बोल दिया गया। इसमें तमाम महिला-पुरुष घायल हुए और एक किसान गुलाब विश्वकर्मा की मौत हो गयी। अपने साथी की मौत से बौखला कर किसानों ने गुलाब की लाश सामने रख दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग जाम कर दिया। हालात को बिगड़ता देख जिलाधिकारी को आंदोलित किसानों के बीच आना पड़ा। इस बार उन्हें स्टाम्प पेपर पर किसानों की मांगें मानने की लिखित स्वीकृति देनी पड़ी। गुलाब के परिजनों को 5 लाख रुपये के मुआवजे का चेक भी देना पड़ा। आंदोलन के समर्थन में कई विपक्षी राजनैतिक दलों के नेता मौके पर पहुंचे परंतु इसके बाद उनमें से कोई भी नजर नहीं आया।

आंदोलन के नेता कहते हैं कि औने-पौने दाम में इसी जेपी कंपनी को सीमेण्ट कारपोरेशन के चुर्क, चुनार और डाला के सीमेण्ट कारखाने बेचे गये, गंगा एक्सप्रेस वे तथा जमुना एक्सप्रेस वे का ठेका दिया गया। अलीगढ़ के जिकरपुर गांव में किसानों की मौत की जिम्मेदार भी यही कंपनी है और उस पर कोई शिकंजा नहीं है? आखिर क्यों?

याद रहे कि 29 अक्टूबर 2011 को परियोजना प्रभावित सभी 8 गांवों में पुलिस की हथियारबंद फौज ने डीएसपी की अगुआई में फ्लैग मार्च किया था। इस दौरान किसानों को डराया-धमकाया गया, गढ़वा और देवरी गांव में पीटा भी गया। आखिरकार, पुलिस बल ने कचरी गांव पर धावा बोला जहां लगभग एक वर्ष से भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसान अनशन कर रहे थे। पहले अनशनकारियों की पिटाई हुई और फिर घरों में घुस कर महिलाओं और बच्चों की। दर्जनों लोगों को चोटें आयीं। इस हमले ने गांववालों का गुस्सा भड़का दिया। मुकाबला करने को वे एकजुट हुए कि पुलिस को 'शांति-व्यवस्था' कायम रखने तथा 'विकास विरोधियों' को खदेड़ने के लिए हवाई फायर करना पड़ा।

लेकिन पुलिसिया आतंक को धता बताते हुए आठों गांव के लोग सड़क पर आ गये तथा उन्होंने मिर्जापुर-इलाहाबाद राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीण अपने परंपरागत हथियारों से लैस थे। उनके आक्रोश को देखकर पुलिस वहां से भाग गयी। आंदोलनकारियों ने मांग की कि गांवों में आतंक मचाने का आदेश देनेवाले अधिकारी तथा उन पर जुल्म ढानेवाले पुलिस जनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये।

करछना के किसान नेता रंगबली पटेल का आरोप है कि 29 अक्टूबर से 10 दिन पहले इलाहाबाद के सरकिट हाउस में प्रशासन ने हमले की रणनीति बनायी थी और उसमें जेपी कंपनी के एमडी भी मौजूद थे। इसके फौरन बाद कंपनी के एमडी ने किसानों को धमकी दे डाली थी कि हर हाल में पावर प्लांट बन कर रहेगा और किसी का मुआवजा भी नहीं बढ़ाया जायेगा। बहरहाल, हमले के बाद पैदा हुए जनाक्रोश से घबराये प्रशासन ने फ्लैग मार्च से ही इंकार कर दिया।

इस बीच आंदोलनकारियों ने अपने खेतों में जुताई-बुआई का काम शुरू कर दिया तथा किसी भी हालत में अपनी भूमि खाली न करने का निर्णय लिया। नवंबर में जिलाधिकारी से हुई वार्ता भी असफल हो गयी। नवंबर के पहले हफ्ते में एक ऐसा भी दौर आया जब प्रशासन ने करछना के स्कूलों-कालेजों को बंद करने एवं सड़कों तथा रेल लाइनों पर सतर्कता बढ़ाने का भी निर्णय किया था। तब खुद डीएम ने धमकी दी थी कि अब वार्ता नहीं बल्कि काम (पावर प्लांट का निर्माण) होगा। लेकिन किसानों के एकजुट विरोध ने पुलिस-प्रशासन की सख्ती का हवा निकाल दी और आखिरकार अदालती आदेश से उन्हें जीत मिली।

कंपनी के लिए सरकारी तिकड़में

किसानों की जमीन छीनने पर आमादा प्रशासन ने फर्जी चौपालों का भी सहारा लिया। किसानों के साथ लिखित समझौता करनेवाले जिलाधिकारी का स्थानान्तरण हुआ और उनके स्थान पर आये नये जिलाधिकारी ने उस समझौते को मानने से इंकार कर दिया। 26 मार्च 2011 को पूरे सरकारी अमले के साथ पहुंचे जिलाधिकारी ने कचरी गांव में चौपाल लगायी। उसमें किसान नेता राजबहादुर पटेल को बुलाया गया। उनसे कहा गया कि तुम्हीं अकेले हो,

बाकी सारे किसान भूमि अधिग्रहण से सहमत हैं और कंपनी के पक्ष में हैं। उन्हें किसी कांड में फंसा कर जेल भेजने की धमकी दी गयी।

पहली चौपाल कोई एक माह पहले 25 फरवरी 2011 को लगायी गयी थी। उसमें बताया गया था कि पावर प्लांट लगने से क्षेत्र और लोगों का कितना भारी विकास होगा। उस चौपाल में पावर प्रोजेक्ट से प्रभावित 10-20 किसान थे, बाकी लोग अप्रभावित गांवों के प्रधानों द्वारा हांक कर लाये गये थे।

कचरी की चौपाल के तुरंत बाद प्रशासन ने नया पैंतरा चलाया। ग्राम प्रधान एवं दलालों को लगाया गया कि पावर प्लांट के पक्ष में पहले से तैयार किये गये प्रपत्र पर लोगों का हस्ताक्षर करायें लेकिन अधिकतर किसानों ने हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। ऐसे में तय हुआ कि 26 मई को डीएम की चौपाल लगेगी। इसके लिए भीड़ जुटाने का ठेका देवरीकलां के पूर्व प्रधान कमलेश द्विवेदी को सौंपा गया। उसने बीरपुर, महेवा, पुरैनी, पनासा, वलुहा तथा मेजा के कई ग्रामों की महिलाओं तथा पुरुषों को सौ रुपये दिहाड़ी पर जुटाया। इसमें प्रभावित किसान गिनती के थे, शेष सभी किराये पर आये थे। डीएम ने उनके साथ फोटो खिंचवाई तथा माइक पर उनसे पावर प्लांट के पक्ष में हामी भरवाई।

याद रहे कि किसानों की मांगें पूरी करने के लिए प्रशासन द्वारा मांगी गयी चार महीने की मियाद 21 मई को खतम हो चुकी थी। संघर्षरत किसान राज्यपाल तथा जिलाधिकारी को लिखित रूप से बता चुके थे कि वे किसी भी हालत में अपनी जमीनें नहीं देंगे।

भूमि अधिग्रहण का विरोध करनेवाले किसानों तथा उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज करने की शुरूआत पहले से ही जारी थी। 14 अप्रैल तथा 23 मई 2011 को रामहित (याची) के परिवार के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गयी। प्रधान संघ, दलालों तथा अपराधियों के सहयोग से प्रशासन बैठकों का सिलसिला आयोजित करता रहा। इसी तरह की एक बैठक 12 मई को हुई जिसमें प्रधान संघ ने करछना पावर प्रोजेक्ट को क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी बताया। अधिग्रहण का विरोध करनेवालों को अराजकतत्वों की संज्ञा देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई किये जाने की

मांग की।

करछना से इलाहाबाद तक पैदल मार्च

भूमि अधिग्रहण के विरोध में 21 नवम्बर 2012 को करछना तहसील से इलाहाबाद जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च निकला। इसका आयोजन पुनर्वास किसान कल्याण सहायता समिति, बिहान, मजदूर किसान यूनियन के संयुक्त आह्वान पर हुआ। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया जिसमें केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही किसानों की उपेक्षा की घोर निन्दा की गयी। सरकार को चेतावनी दी गयी कि यदि किसानों की मांगों को नहीं माना गया तो इलाहबाद से 50 हजार किसान विधानसभा को घेरने के लिये कूच करेगें।

गंगा एक्सप्रेस वे विरोधी आंदोलन

परियोजना किसानों की तबाही की नींव

गंगा एक्सप्रेस वे के केवल पहले चरण के कारण हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि का रकबा तथा प्रतिवर्ष 50 लाख कुंतल अनाज का उत्पादन घट जायेगा। बलिया से नोएडा तक जो सड़क सेज प्रस्तावित है, वह अनावश्यक तथा औचित्यहीन है। इस योजना के लिए ली जानेवाली भूमि बेहद उपजाऊ है। जमीन गयी तो किसान अपनी आजीविका के साधन से हाथ धो बैठेंगे और विकासकर्ता उर्फ जेपी एसोसिएट मालामाल हो जायेगा। परियोजना से इलाहाबाद, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़, चन्दौली आदि जिले प्रभावित होंगे।

इस चिंता के साथ कृषि भूमि बचाओ मोर्चा ने गंगा एक्सप्रेस वे की परियोजना के खिलाफ मोर्चा खोला। नोएडा से बलिया के बीच जिलाधिकारी से लेकर मण्डलायुक्त तक के यहां धरना-प्रदर्शन के अलावा वाराणसी में विशाल सम्मेलन हुआ लेकिन सरकार चिकना घड़ा बनी रही।

यह खुला तथ्य है कि लोकसभा में जब भूमि अधिग्रहण कानून पेश हुआ था तो कायदे से विपक्ष में बैठे जन प्रतिनिधियों को इसका विरोध करना चाहिए था लेकिन अधिकतर चुप्पी साधे रहे। उसी का नतीजा है कि गंगा एक्सप्रेस वे की परियोजना किसानों की कमर तोड़ने आ धमकी। लेकिन किसानों ने तय किया कि वे किसी भी कीमत पर इस परियोजना को पूरा नहीं देंगे।

किसान नेताओं का कहना है कि अगर सरकार को विकास ही करना है तो उसे गंगा एक्सप्रेस वे को रद्द कर कृषि आधारित लघु उद्योगों को सब्सिडी और किसानों को सस्ते मूल्य पर खाद-बिजली-पानी देने की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। अगर इस परियोजना को अविलम्ब बंद नहीं किया गया तो किसान व्यापक आंदोलन खड़ा करेंगे और जेपी समूह को भगा कर रहेंगे।

दूसरी ओर सरकारी दमन और कम्पनी की साजिशें भी जारी रहीं। गंगा एक्सप्रेस वे के खिलाफ बढ़ते संघर्ष को रोकने के लिए सरकार ने कार्यकर्ताओं

तथा नेताओं पर शिकंजा कसने की कोशिश की। कृषि भूमि बचाओ मोर्चा के 9 साथियों के खिलाफ गाजीपुर जनपद के करण्डा थाने में जेपी कंपनी के उस कर्मचारी की शिकायत पर सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न करने का मुकदमा दर्ज हुआ जो अवकाश प्राप्त लेखपाल है। हुआ यह था कि वह कर्मचारी जमीन की नाप-जोख के सिलसिले में नारी पंचदेवरा गांव गया था जहां गंगा एक्सप्रेस वे हेतु जमीन अधिग्रहीत की जानी है। लेकिन गांववालों ने उसे ऐसा नहीं करने दिया और उसे गांव से बाहर खदेड़ दिया।

पुलिस ने उसकी शिकायत पर कमाल की फुर्ती दिखायी और देर रात मोर्चा के नेता अमरनाथ यादव को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें आजमगढ़ जिले की सीमा पर खानपुर थाने ले जाया गया तथा सुबह गाजीपुर जेल भेज दिया गया। अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के लिए वारण्ट जारी कर दिया गया। कोई एक हफ्ते बाद 11 मार्च 2010 को अमरनाथ यादव की जमानत हो सकी। इसी के साथ आंदोलन में दमन की साजिश का मुद्दा भी जुड़ गया।

विशेषज्ञ की चेतावनी

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में गंगा नदी पर शोध के लिए 1985 में गठित गंगा प्रयोगशाला के संस्थापक प्रोफेसर यूके चौधरी और उनकी टीम के अनुसार गंगा एक्सप्रेस वे के पहले चरण में प्रदेश की 40 हजार एकड़ खेती योग्य भूमि समाप्त हो जायेगी। इस तरह कोई एक दशक बाद एक लाख एकड़ उपजाऊ भूमि गैर कृषि कार्यो में इस्तेमाल होगी जिसके कारण अनुमानित पचास लाख किंवटन अनाज का उत्पादन घट जायेगा। परियोजना के चलते न सिर्फ गंगा में प्रदूषण बढ़ेगा बल्कि गंगा बेसिन की जलवायु भी प्रभावित होगी।

प्रोफेसर चौधरी की रपट के कुछ बिंदु इस प्रकार हैं- गंगा एक्सप्रेस वे चूंकि ड्रेनेज पथ को काटेगा इसलिए वाटरशेड की दिशा बदल जायेगी, भूमिगत जल में बढ़ोतरी होगी और जो विशाल वाटरशेड के मृदाक्षरण का कारण बनेगा। यह कटाव एक्सप्रेस वे के एक तरफ पानी के दबाव को बढ़ायेगा तथा दूसरी तरफ भूमिगत जल के रिसाव में तेजी लायेगा। यह भयावह स्थिति होगी। गंगा एक्सप्रेस वे चूंकि माइक्रो वाटरशेड को एक हजार किलोमीटर में काटेगा इसलिए उसका एक किनारा राजमार्ग के अगल-बगल की तमाम उपजाऊ जमीन पर

जल भराव करेगा।

गंगा एक्सप्रेस वे पर चलनेवाली गाड़ियों से लगातार कार्बन डाइआक्साइड, कार्बन मीनो आक्साइड आदि गैसें नदी से होनेवाले वाष्पीकरण की रफ्तार को बढ़ा कर जल प्रवाह कम कर देंगी। इससे जल में आक्सीजन की मात्रा घट जायेगी। एक्सप्रेस वे और गंगा के बीच की उपजाऊ भूमि गंगा द्वारा बालू जमाव व मृदाक्षरण से प्रभावित होगी और गंगा का बेसिन बाढ़ क्षेत्र में तब्दील हो जायेगा। गंगा का हजारों एकड़ का उपजाऊ बेसिन क्षेत्र नष्ट हो जायेगा।

उपजाऊ जमीन का गैरकृषि क्षेत्र में चले जाना बड़ी चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि का रकबा लगातार कम हो रहा है। 1984 में प्रदेश में कृषि भूमि का रकबा 184 लाख हेक्टेयर था जो 2006 आते-आते 168 लाख हेक्टेयर रह गया। हालांकि खाद्यान्न उत्पादन फिलहाल चार लाख मीट्रिक टन पर स्थिर है। लेकिन जहां 2024-25 तक प्रदेश की आबादी करीब 25 करोड़ तक पहुंच जायेगी, वहीं खाद्यान्न का उत्पादन और घट जाएगा। उस समय 600 मीट्रिक टन खाद्यान्न की जरूरत होगी। ऐसे में खेती का रकबा घटना घातक होगा।

जन जागरण यात्रा

गंगा एक्सप्रेस वे एवं भूमि अधिग्रहण के खिलाफ उठे आंदोलन का महत्वपूर्ण पड़ाव था- 30 अक्टूबर से 16 नवम्बर 2011 तक किसान जन जागरण यात्रा का आयोजन। इस दौरान नारा गूंजा कि 'जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे' और जिसके समर्थन में गंगा का संबंधित इलाका एक हो गया। यह राज्यव्यापी यात्रा बलिया के नरही गांव से शुरू हुई और गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, फर्रूखाबाद, शाहजहांपुर, काशीराम नगर, बदायूं, अलीगढ़, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर होती हुई ग्रेटर नोएडा के ऐतिहासिक शाहबेरी गांव में समाप्त हुई।

किसान जनजागरण यात्रा का महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि 1047 किमी लंबे गंगा के मैदान का प्रत्येक गांव और कस्बा जो गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण से प्रभावित होगा, चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा है कि 'जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे'। किसान समझ रहा है कि उसकी कीमत पर देशी-विदेशी कम्पनियों को मालामाल करने के लिए ही गंगा एक्सप्रेस वे बनाने की योजना है। कि इसके बाद उसके हाथ में मुआवजे का कुछ रुपयों के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा।

पुश्तों से चली आ रही उपजाऊ खेती, छोटा-मोटा कारोबार और आजीविका का ठौर-ठिकाना छिन जायेगा। कि वह विस्थापित होकर दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जायेगा।

यात्रा इस बात की भी गवाह बनी कि किसान इसे खूब समझ रहे हैं कि ज्यादा मुआवजे की मांग करनेवाले अधिकतर संगठन या आंदोलन दरअसल राजनीतिक पार्टियां, दलालों, ठेकेदारों और भूमाफियाओं द्वारा खड़े किये जा रहे हैं। आम किसान और खेत मजदूरों का उनसे कोई लेनादेना नहीं है।

बलिया से नोयडा तक हुई यात्रा के दौरान किसान संगठनों के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव बैठकें कीं। इस तरह भूमि अधिग्रहण के पीछे की साजिशों का पर्दाफाश करते हुए इसके खिलाफ किसानों को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की। स्थानीय किसानों ने भी जानकारी दी कि उन्होंने एक्सप्रेस वे के लिए हो रहे सर्वे को रोक दिया है, कि निशान के लिए लगाये गये पत्थरों/खम्बों को उखाड़ फेंका है और कि सरकारी कर्मचारियों को भगा दिया है, कि अब वे आंदोलन के अगले कदम के लिए तैयार हैं।

जन संघर्ष समन्वय समिति एवं कृषि भूमि बचाओ मोर्चा के नेताओं का कहना है कि बलिया से नोयडा तक 1047 किमी लंबा, 300 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा यह एक्सप्रेस वे पूरे प्रदेश को दो भागों में बांट देगा। इससे गंगा के उपजाऊ मैदान और स्थानीय बाजारों तक देशी-विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सीधी पहुंच हो जायेगी। एक्सप्रेस वे पीपीपी माडल पर तैयार हो रहा है। इस पर ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, साइकिल नहीं चलेगी बल्कि महंगी गाड़ियां फर्राटा भरेंगी, कंपनियों के भारी भरकम मालवाहक ट्रक तेज रफ्तार में चलेंगे। इसे बनानेवाली कंपनी (जेपी समूह) 35 वर्षों तक जनता से टोल टैक्स वसूलेगी। एक्सप्रेस वे के किनारे शापिंग माल्स, सुपर मार्केट, मनोरंजन पार्क, रिहाइशी कालोनियां बनेंगी। यह औद्योगिक क्षेत्र होगा। कारपोरेट खेती एवं कान्ट्रेक्ट खेती के लिए किसानों की जमीन लेकर कंपनियां मुनाफा कमाने के नये-नये रास्ते निकालेंगी। किसान जमीन का मालिक नहीं रहेगा, कंपनियों का मजदूर या नौकर बन जायेगा। गंगा के दोनों तरफ बाढ़ का प्रकोप बढ़ेगा, जल जमाव से दिमागी बुखार जैसी महामारियां फैलेंगी, गंगा और ज्यादा प्रदूषित होगी।

यात्रा का आखिरी पड़ाव ग्रेटर नोयडा का शाहबेरी गांव था जहां के किसानों ने

अपनी जमीन बचाने के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया है। यहां हुई बैठक में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाने के लिए 25 सदस्यीय तदर्थ संघर्ष समिति का गठन हुआ और जिसमें सभी प्रभावित जिलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया।

इस यात्रा का आयोजन कृषि भूमि बचाओ मोर्चा, विंध्य एनवायरनमेंटल सोसायटी, किसान संघर्ष समिति, किसान मंच, समाजवादी जन परिषद, लोक समिति, भूमि प्रतिरोध संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश सर्वोदय मण्डल, आजादी बचाओ आंदोलन, कछार किसान संघ आदि संगठनों ने किया।

संघर्ष के साथ विचार भी

9-10 अप्रैल 2011 को कृषि भूमि बचाओ मोर्चा के तत्वावधान में राजघाट, वाराणसी स्थित सर्व सेवा संघ में दो दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में इन सवालों पर गहन चर्चा हुई कि गंगा एक्सप्रेस वे एवं भूमि अधिग्रहण और सेज की जरूरत क्यों? कि यह किसके हित में है? इसमें बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, उन्नाव, कानपुर तथा हरदोई के किसान शामिल हुए।

गोष्ठी में कृषि भूमि के अधिग्रहण से किसानों के विनाश और इससे देश में आनेवाले संकट पर चिंता जाहिर की गयी। वक्ताओं ने कहा कि खेती की जमीन देशी-विदेशी कंपनियों के हवाले करने के लिए मार्च 2011 में केन्द्र सरकार ने समग्र प्रत्यक्ष विदेश निवेश नीति का सर्कुलर जारी किया है। इसमें कृषि क्षेत्र को सौ फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोल दिया गया है। अब कोई भी विदेशी कंपनी बीज, पौधे, फूल बागवानी, सब्जी, चाय आदि के उत्पादन और विकास में सीधे दखल दे सकती है। पशुपालन और मछली पालन भी इसमें शामिल है।

इससे पहले जो सरकारी नीति लागू थी, उसके चलते 1997 से 2010 तक लगभग सवा दो लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। अब विशालकाय देशी और विदेशी कंपनियों के मकड़जाल में फंसने पर किसान अपनी जमीन से बेदखल होकर इन कंपनियों का बंधुआ मजदूर बन जायेगा। किसानों के लहलहाते खेतों पर बुलडोजर चला कर होटल, आलीशान पार्क, रेस कोर्स, माल्स का निर्माण हो रहा है। देश में खाद्यान्न का संकट पहले से मौजूद है, विदेशों से

खाद्यान्न मंगाना पड़ता है। ऐसे में कृषि योग्य भूमि पर शहर बसाना देश की जनता को भूखा मारने की साजिश है। पिछले 20 वर्षों में देश की 90 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य जमीन किसानों से छीन कर उद्योगपतियों को दी जा चुकी है।

भूमि अधिग्रहण कानून अंग्रेजों ने उद्योग लगाने और कच्चे माल को उद्योगों तक ले आने और तैयार माल को लोगों तक पहुंचाने के लिए रेल लाइन बिछाने तथा सड़क बनाने के लिए किया था। आजाद भारत में भी यह कानून जनहित के नाम पर जारी रखा गया। अब उसे इतना ताकतवर बना देने की योजना है कि किसान अपनी भूमि कानूनी रूप से भी न बचा सकें। भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल इसीलिए आया। गोष्ठी में इसके खिलाफ किसानों को एकजुट करने और एक ताकतवर आंदोलन खड़ा करने का निर्णय लिया गया। जल, जंगल, जमीन के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे आंदोलनों के साथ एकजुटता की गयी।

आवाज उठाओगे तो भुगतोगे

देश में कानून का मखौल इस तरह उड़ाया जा रहा है कि लगता ही नहीं कि यहां कानून का राज कायम है। लगता है कि हम लोकतंत्र में नहीं, कारपोरेट तन्त्र के दौर में जी रहे हैं जहां हुक्म है कि जुबान बंद रखो वरना खैर नहीं। आरटीआई कार्यकर्ता प्रदीप कुमार शुक्ल को परेशान किये जाने की कहानी यही गवाही देती है।

प्रदीप कुमार ने उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा एक्सप्रेस वे की पर्यावरणीय स्वीकृति में बरती गयी अनियमितताओं को उजागर किया था। इसी आधार पर उच्च न्यायालय ने उस स्वीकृति को खारिज कर दिया था। वे शासन-प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को लगातार बेनकाब करते रहे हैं। इसलिए शासन-प्रशासन और जेपी कंपनी फर्जी मुकदमों में उन्हें उलझा कर परेशान करने पर तुल गयी।

प्रदीप कुमार को 'समझाने' के लिए मिर्जापुर जिले की पुलिस ने उन पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया। यह दबाव डालने का पुलिसिया तरीका था कि वे पुलिस विभाग में दाखिल आरटीआई का आवेदन वापस ले लें। यह मामला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन संरक्षित चुनार के ऐतिहासिक महत्व के दुर्गा मन्दिर की प्राचीन पत्थर की सीढ़ियों को तोड़ कर उसके स्वरूप में परिवर्तन सम्बन्धी आपराधिक कृत्य से जुड़ा है। वे चार वर्ष से इस ऐतिहासिक धरोहर को क्षति पहुंचानेवालों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने तथा क्षतिग्रस्त हिस्से का जीर्णोद्धार किये जाने की मांग कर रहे थे। इसी कड़ी में उन्होंने सूचना के अधिकार कानून के तहत पुलिस से सवाल पूछे लेकिन जवाब देने के बजाय उन पर एससी/एसटी एक्ट का फर्जी मुकदमा थोप दिया गया।

याद रहे कि मन्दिर की सीढ़ियों को तोड़कर क्षतिग्रस्त करने के मामले में पुरातत्व विभाग की तहरीर के बावजूद डेढ़ वर्ष तक एफआईआर नहीं दर्ज की गयी थी। आरटीआई के दबाव में एफआईआर तो दर्ज की गयी लेकिन पुलिस ने मामले की लीपापोती भी कर डाली। इसी बीच चुनार के एसएचओ तथा जिले के पुलिस अधीक्षक का कार्यालय वातानुकूलित हो गया। क्षेत्र में चर्चा थी कि

इसके पीछे जेपी सीमेन्ट की चुनार इकाई की मेहरबानी थी।

प्रदीप कुमार ने इसे गंभीरता से लिया और पुलिस कार्यालय से इसके निर्माण सम्बन्धी ब्यौरे की जानकारी मांगी। इससे पुलिस अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गये, जवाब देना उनके गले की हड्डी बन गया। तब तत्कालीन एसएचओ ने उन्हें धमकी दी थी कि और आगे बढ़े तो मुकदमों में फंसा दिया जायेगा, हाथ-पैर तोड़ दिया जायेगा। किन्तु धमकी बेअसर रही और प्रदीप कुमार ने इसकी शिकायत पुलिस के उच्च अधिकारियों से कर दी। यह अलग बात है कि उनकी यह शिकायत अभी तक कार्रवाई की बाट जोह रही है।

सूचना आयोग ने मामले को संज्ञान में लेकर सुनवाई शुरू की। झूठा एवं अधूरा जवाब देती आ रही पुलिस जब अपने ही बुने जाल में उलझ गयी तो उसने प्रदीप कुमार के विरूद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज कर लिया। उन्होंने इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग तथा उच्च अधिकारियों से करते हुए मामले की तत्काल जांच कराने, दोषियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने तथा अपनी सुरक्षा की मांग की।

भूमि अधिग्रहण के लिए दमन

उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर किसानों तथा प्रशासन के बीच हिंसक टकराव की घटनाएं राज्य तथा केन्द्र सरकार के बर्बर रूप को दर्शाती हैं। ग्रेटर नोएडा से शुरू हुआ किसान आंदोलन अब उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी फैल चुका है। उत्तर प्रदेश में किसानों पर 2007 से अब तक आठ बार लाठी -गोली चल चुकी है और करीब दर्जन भर किसान मारे जा चुके हैं। याद रहे कि दिसंबर 2009 से जुलाई 2011 के बीच 6 बड़े भूमि अधिग्रहणों को उच्च न्यायालय अवैध करार दे कर रद्द कर चुका है। ज्यादातर मामलों में यह अधिग्रहण रीयल इस्टेट के कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के नापाक इरादे से किये गये थे।

ग्रेटर नोएडा के भट्टा पारसौल गांव में ज्यादा मुआवजे के लिए 111 दिनों से धरने पर बैठे किसानों तथा पुलिस के बीच हुई हिंसक घटना में दो पुलिसकर्मियों सहित चार लोग मारे गये। करीब सौ साल पुराने अंग्रेजों के बनाये भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर किसानों की नाराजगी अब बढ़ती जा रही है। किसानों का सवाल है कि प्रदेश सरकार जमीन के धंधे में क्यों लगी हुई है? किसानो से आठ-नौ सौ रुपये वर्ग मीटर की दर से जमीन लेकर राज्य सरकार व्यापारियों और उद्योगपतियों को बीस हजार रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से बेच रही है जो इसे और मोटी दर पर बेच कर अकूत मुनाफा लूट रहे हैं। मुनाफे के इस गोरखधंधे में किसान अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

एक आकलन के मुताबिक उत्तर प्रदेश में विभिन्न किस्म के एक्सप्रेस वे और अन्य परियोजनाओं के लिए जो जमीन ली जा रही है, उससे करीब 25 हजार गांव उजड़ जायेंगे। यह संख्या प्रदेश के समूचे गांवों की एक चौथाई है। इससे

अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसानों के सिर पर कितना बड़ा संकट मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछली बसपा सरकार के दौर में तो किसानों पर आये दिन लाठियां और गोलियां चलीं।

मायावती के गांव बादलपुर में 50 बीघा से ज्यादा जमीन उनके आवास के लिए किसानों को डरा-धमका कर ली गयी। किसानों ने विरोध किया तो पुलिस ने उन पर लाठियां भांजी। ममानिकपुर और बढ़पुरा के किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने के लिए उन्हें झूठे मुकदमों में फंसा कर जेल में ठूंस दिया गया। रानोली, लतीफपुर और सिराहड़ा गांवों में धरने पर बैठे किसानों और महिलाओं को भी जेल में डाल दिया गया। इन गांवों के किसान अंबुजा और बिरला को दी गई जमीन का उचित मुजावजा दिये जाने की मांग कर रहे थे।

घोड़ी बछेड़ा गांव में तो पुलिस ने सात किसानों को मौत के घाट उतार दिया। साखीपुर और डाढा के किसानों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया तो दोनों गांवों में पीएसी तैनात कर दी गई। उन्हें घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया गया। इसी तरह बख्तावरपुर गांव में भी पुलिस और पीएसी ने लोगों को घरों में नजरबंद कर दिया और किसानों पर जमकर लाठियां भांजी।

गढ़ी-चौखंडी में पुलिस ने किसानों के घर ढहा दिये। किसानों द्वारा विरोध करने पर उन्हें लाठी-डंडे से पीटा गया। बिसरख में भी किसानों पर लाठियां चलीं और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किये गये। इसके खिलाफ महिलाएं जब राष्ट्रपति को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन देने पदयात्रा पर निकलीं तो उन्हें गिरफ्तार कर 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। 2010 में टप्पल में भी जमीन के मुआवजे को लेकर आंदोलन चला जिसमें पुलिस की गोली से तीन किसान मारे गये। चालीस से ज्यादा किसानों को झूठे मुकदमों में फंसा दिया गया। उसी साल आगरा और इलाहाबाद में भी किसानों पर गोली चली।

सोनभद्र का विकास वनाम विस्थापन

सोनभद्र का इलाका औद्योगिक विकास के लिहाज से प्रदेश में बडी हैसियत रखता है। यह अलग बात है कि आदिवासियों को इसका फल निरंतर विस्थापन व बदहालियों के घनीभूत हो जाने के रुप में मिलता रहा है। रेनूकूट स्थित हिन्डालको एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम संयंत्र है। बिड़ला समूह के इस उपक्रम में 5 हजार से भी अधिक मजदूर काम करते हैं। बिड़ला हाइटेक कार्बन प्लांट भी इसी क्षेत्र में हैं। इसके अलावा शक्तिनगर तथा बीजपुर में एनटीपीसी विद्युत संयंत्रों की श्रृंखला है जिसका नियंत्रण केन्द्र सरकार के हाथ में है। यह औद्योगिक इलाका मिनी मुम्बई के नाम से जाना जाता है। इस आइने से जिले के औद्योगिक विकास एवं कद के रुतबे का अंदाजा लगाया जा सकता है। जाहिर है कि इसके तार सियासी गलियारे तक बहुत मजबूती से बंधे हुए हैं।

इस औद्योगिक विकास की शुरुआत 1953 में रिहन्द बांध के निर्माण के साथ हुई। पूर्णतया कंकरीट का बना हुआ पक्का बांध गोविन्द बल्लभ पन्त सागर के नाम से एशिया की सबसे बडी कृत्रिम झील के रुप में जाना जाता हैं। इसके निर्माण से 105 गांवों के 46 हजार आदिवासी और दूसरे ग्रामीण विस्थापित हुए। दूसरी तरफ ओबरा में थर्मल पावर प्लांट का निर्माण करते हुए एनटीपीसी की स्थापना हुई। इसी के साथ एक के बाद एक सुपरतापीय बिजली घरों की परियोजना एवं अन्य परियोजनाओं का जाल इस क्षेत्र में बिछना शुरू हुआ। चुर्क व डाला में सीमेंन्ट फैक्ट्री के निर्माण कार्यो के लिए 250 से ज्यादा क्रेशर उद्योग एवं चूने के पत्थर के कारखाने खुले।

निःसंदेह औद्योगिक विकास का परचम लहरा रहा हैं किन्तु सत्य यह भी है कि ऐसे छोटे-बड़े सभी उद्योगों तथा औद्योगिक बस्तियों ने अनेक आदिवासी परिवारों को उजाड़ा है, और जिनकी जीविका, जिंदगी तथा अस्तित्व की रक्षा के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। कई तो ऐसे गांव हैं जो विस्थापितों से बसे और फिर नयी-नयी परियोजनाओं के नाम पर कई बार उजड़े।

सर्वेक्षण के अनुसार रिहन्द बांध से 10 हजा परिवार, सीमेंन्ट फैक्ट्री से आठ सौ परिवार, कनहर बांध से दो सौ परिवार, अनपरा व ओबरा से डेढ़ हजार परिवार,

वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फारेस्टी प्रोजेक्ट से एक हजार परिवार, एनटीपीसी से सात सौ परिवार तथा रोड रेलवे, हेलिपैड, हाइटेंशन लाइन से डेढ़ हजार परिवार प्रारम्भिक दौर में विस्थापित हुए। इन विभिन्न परियोजनाओं के लिए बिना किसी राष्ट्रीय मानक के क्षेत्र के 36 हजार परिवार दो से तीन बार विस्थापित हो चुके हैं।

उद्योगों से जंगलों का भी बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। रिहन्द जलाशय के पानी के साथ-साथ सिंगरौली व दुद्धी क्षेत्र में हवा, पानी व मिटटी प्रदूषित हुई। आज क्षेत्र के कुओं में निर्धारित सीमा से नौ गुना अधिक पारा मौजूद है। यह चिन्ता का विषय है। अनुमान है कि कन्नौरिया द्वारा 420 किलो पारा एवं हिन्डालको द्वारा 435 टन फ्लोराइड का उत्सर्जन हर वर्ष होता है। कमरीडाड़, लभरी, गाढ़ा, देव हत्थी गांवों के कोई 15 बच्चों की मौत रिहन्द का जहरीला पानी पीने से हो चुकी है।

जेपी सीमेण्ट कम्पनी के आगमन ने चुर्क और राबर्ट्सगंज के पास के गांवों की घेराबंदी की और इसका विरोध करनेवाले आदिवासियों को अपराधिक मुकदमों में फंसा दिया गया।

पर्यावरण पर इतने खतरे के बावजूद सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के तमाम नेताओं के अवैध स्टोन क्रशर इलाके में चल रहे हैं। सोन नदी को बंधक बना लिया गया है। चोपन ब्लाक के अगोरी किले के सामने सोन नदी पर पुल व सड़क बना कर नदी की धारा मोड़ दी गयी है। जेसीबी मशीनें से चौबीसों घण्टे बालू का खनन किया जा रहा है जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश है कि जेसीबी मशीनों से बालू खनन नहीं किया जा सकता। सोन नदी पर जगह-जगह बने पुलों के कारण सोन लिफ्ट सिंचाई परियोजना दम तोड़ रही है।

भू माफियाओं, खनन माफियाओं तथा जेपी जैसी कंपनियों के लिए सरकार के पास जमीन है मगर आदिवासियों को उजाड़ने के बाद भी उन्हें बसाने के लिए नहीं है। इलाके में वन अधिकार अधिनियम के तहत 54 हजार दावे किये गये परंतु केवल 52 सौ को पट्टा मिला और वह भी वास्तविक कब्जेवाली जमीन का तिहाई चौथाई। रिहन्द जल विद्युत परियोजना, सिंगरौली, बीजपुर, रेनूकूट, बीना कोयलरी, अनपरा के कारण विस्थापित हुए आदिवासी आसपास के जंगलों में बसे लेकिन उन्हें वहां से पुनः विस्थापित कर दिया गया। इनकी तादाद 20

से 25 हजार परिवार के लगभग थी। उनका कुछ अतापता नहीं। जो थोड़े-बहुत जंगलों में बसे भी हैं, उन्हें धारा-20, आरक्षित वनों तथा कंपनियों के विस्तार के नाम पर फिर उजाड़ा जा रहा है। विस्थापन का कोई विकल्प नहीं है और न ही इसकी वास्तविक क्षतिपूर्ति संभव है।

कनहर बचाओ आंदोलन

विकास के लिए विनाश का प्रस्ताव

कनहर बांध की परियोजना का शिलान्यास आपातकाल के दौरान 6 अक्टूबर 1976 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी ने किया था। दिसंबर 1978 को राज्य सरकार की तरफ से डूब क्षेत्र का गजट किया गया। इसके बाद यहां के घर, जमीन, आबादी, पेड़-पशु, मंदिर-मस्जिद, कब्रिस्तान तथा स्कूलों आदि की गणना हुई।

परियोजना के शिलान्यास के साथ ही उसके विरोध और उसके दमन का सिलसिला भी शुरू हुआ। 1977 में सुंदरी गांव में सिंचाई विभाग ने किसानों की खड़ी फसल को नष्ट कर वहां ईंट भट्टा लगवा दिया। किसानों के विरोध के बाद 18 सौ रूपये प्रति बीघे की दर से इसका मुआवजा मिला।

बांध के लिए अधिग्रहीत की गयी जमीन के मुआवजे की दर तय करने के लिए सरकार ने नायाब तरीका अपनाया। चूंकि पूरे डूब क्षेत्र के किसी भी गांव की जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई थी अतएव डूब क्षेत्र से बाहर के एक गांव बंघाड़ू में दो हजार रुपये प्रति बीघे की दर से की गयी रजिस्ट्री के आधार पर मुआवजा तय कर दिया गया। आदिवासियों को धमकाया गया कि जितना भी मुआवजा दिया जा रहा है, ले लो वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। भयवश कुछ लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए मुआवजा ले भी लिया। लोगों ने प्रशासन की इस मनमानी का तीखा विरोध किया। यह सिलसिला 1979 से 1984 तक चला।

इस दौरान तमाम विरोध के बावजूद बांध के लिए मिट्टी की खुदाई की गई। कुदरी, बरदघरी, सुगुआमान, भीसुर गांव के घरों को भी खोद दिया गया। यह कार्रवाई बिना किसी नोटिस के अचानक की गयी और उसका मुआवजा भी नहीं दिया गया। इससे उजड़े लोगों का आज तक कोई अतापता नहीं हैं।

1987 से 1995 तक परियोजना संबंधी सभी प्रकार का निर्माण कार्य बंद रहा। 1995 में साफ-सफाई तथा सड़ रही मशीनों, गोदामों, साइट ऑफिस, फील्ड हॉस्टल के रखरखाव का काम किया गया। इसके बाद 2001 तक काम बंदी का

दूसरा दौर चला। जाहिर है कि काम बंदी लोगों के विरोध का नतीजा थी। 2001 में एक बार फिर काम शुरू करने की कोशिश हुई और इस बार प्राइवेट कंपनियों को लगाया गया। लोग काम नहीं होने देने के लिए डटे रहे और इसी प्रक्रिया में 2002 में विधिवत कनहर बचाओ आंदोलन का जन्म हुआ।

2002 में काम शुरू कराने की दोबारा कोशिश हुई तो कनहर बचाओ आंदोलन की अगुवाई में हजारों लोगों ने कार्यस्थल पहुंच कर उसे ठप्प करा दिया और मशीनों को वापस ले जाना पड़ा। इसके बाद 2010 तक काम एकदम बंद रहा। 15 जनवरी 2011 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर परियोजना को नये सिरे से शुरू करने की घोषणा की। सेटेलाइट के माध्यम से परियोजना का लखनऊ बैठे नया शिलान्यास हुआ तथा अमवार स्थित फील्ड हास्टल में सरकारी अमले ने इसका पत्थर भी चुनवा दिया।

लेकिन अपने जन्मदिन पर मायावती द्वारा दिये गये इस तोहफे को स्थानीय लोगों ने अपने लिए मौत का पैगाम माना। उनके बीच खलबली मच गयी। इस भावी कहर से निपटने के लिए कनहर बचाओ आंदोलन की अपील पर 14 मार्च की रात लगभग 10 हजार लोग अमवार में इकट्ठा हुए। अगले दिन यह हुजूम 15 किमी पैदल मार्च करते दुद्धी तहसील पहुंचा और विरोध सभा में बदल गया। यहां सामूहिक संकल्प लिया गया कि अपनी माटी, नदी, जंगल, घर, गांव को किसी हालत में नहीं छोड़ा जायेगा। याद रहे कि उसी दिन तहसील गेट पर ही हरियाली लाओ, कनहर बचाओ के बैनर तले एक और कार्यक्रम भी हुआ। यह बिचौलियों और उन कंपनियों की मदद से आयोजित किया गया था जिन्हें बांध संबंधी निर्माण का ठेका मिला था। कार्यक्रम का मकसद टकराव पैदा कर असली मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाना था। लेकिन उनकी योजना धरी की धरी रह गयी। यह आंदोलन के परिपक्व नेतृत्व के चलते संभव हुआ।

उसी माह कनहर बचाओ आंदोलन ने न्यायालय की शरण में जाने का भी फैसला लिया। आंदोलन के समर्थन में धीरे-धीरे कई संगठन जुड़े। आंदोलन को पीयूसीएल, इण्डियन सोशल एक्शन फोरम (इंसाफ), बभनी पावर प्लांट विरोधी संघर्ष, गंगा एक्सप्रेस-वे विरोधी कृषि भूमि बचाओ मोर्चा, सेज विरोधी संघर्ष समिति आदि के अलावा जिला परिषद और बीडीसी सदस्यों तथा कई ग्राम प्रधानों का भी साथ मिला।

परियोजना किसके हित में

कनहर बचाओ आंदोलन के अगुआकारों को पूरी आशंका है कि कनहर बांध के पानी का उपयोग स्थानीय निवासियों के बजाय आसपास स्थित कारखानों एवं फैक्ट्रियों के लिए किया जाएगा। इसमें बिरला ग्रुप की अलम्युनियम फैक्ट्री और हाईटेक कार्बन (रेनुकूट), कनोरिया केमिकल्स (रेनुकूट), रिहन्द बांध हाइड्रोइलैक्ट्रिक प्लांट (रेनुकूट), राज्य सरकार का थर्मल पावर प्लांट (अनपरा), एनटीपीसी की रिहन्द विद्युत परियोजना (शक्तिनगर) और विन्ध्यांचल विद्युत परियेाजना (बीजपुर), जेपी ग्रुप की सीमेंट फैक्ट्री (डाला) आदि शामिल हैं। इन सभी उपक्रमों की बांध स्थल से दूरी 50 से 120 किमी के बीच है।

सरकारी शब्दावली में बांध विकास के लिए हैं लेकिन स्थानीय वाशिंदों के लिए विनाश का पर्याय हैं। सरकारी तर्क है कि बांध से बिजली बनेगी और सिंचाई की व्यवस्था होगी जबकि जमीनी हकीकत यह है कि बांध से हजारों-हजार लोग अपनी जमीन से उजड़ेंगे और उनके जिन्दा रहने के बुनियादी अधिकार का अपहरण होगा। बांध का फायदा उद्योग-धन्धों को मिलेगा और इसकी कीमत चुकायेंगे गरीब-गुरुबे। लेकिन भोले-भाले आदिवासी अब और बुद्धू नहीं बनाये जा सकते। तमाम जगहों की तरह दुद्धी के आदिवासी भी विकास के लिए अपनी बलि देने के लिए तैयार नहीं हैं। अपने हक-हकूक को लेकर सचेत हैं और लम्बी लड़ाई के लिए तैयार हैं।

डूब क्षेत्र के संभावित इलाकों की घोषणा 1976 में हो गयी थी। बावजूद इसके इन इलाकों में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा निर्माण कार्य जारी रहा। हाल में प्रधानमंत्री सड़क सम्पर्क मार्ग योजना के तहत डूब क्षेत्र के कोरची, सुंदरी, गोहड़ा और भीसुर गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ती 10 से 25 किलोमीटर तक लंबी सड़कें बनीं। पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र और प्राइमरी स्कूल बने, बिजली की लाइन खिंची और हैंडपंप लगे। इस घोषित डूब क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोगों को पट्टे भी दिये गये। इस मेहरबानी को डुबाने से पहले की सजावट कहा जाना चाहिए।

कहा यह भी जाना चाहिए कि तीन राज्यों के कोई 80 गांवों/बस्तियों को जल समाधि देने एवं कनहर तथा पांगन नदियों की मौत का ऐलान है कनहर बांध परियोजना। याद रहे कि कनहर बांध को दुद्धी तहसील के अमरवार गांव के

पास दोनों नदियों के संगम पर बनाया जाना है। कनहर बांध के डूब क्षेत्र में रामचन्द्रपुर ब्लाक (जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़) के 40 गांव, दुरकी ब्लाक (जिला गढ़वा, झारखण्ड) के आठ गांव, म्योरपुर एवं बभनी ब्लाक (जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश) के 36 गांव आयेंगे। जाहिर है कि लोगों को विकास का यह नकली मन्दिर स्वीकार नहीं।

संघर्ष ने दिलायी किसानों को जीत

जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों ने गंगा-एक्सप्रेस वे और पार्सल लैण्ड के नाम पर प्रस्तावित कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ संघर्ष की राह पर हैं तथा दमन-उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं, वहीं राज्य के कई स्थानों पर भूमि अधिग्रहण के मामले में सरकार को मुंह की खानी पड़ी। यमुना एक्सप्रेस हाई वे के लिए हाथरस, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ जिलों के लगभग 900 गांवों की 9 लाख हेक्टेयर ज़मीन के अधिग्रहण को भी किसानों के भारी विरोध के दबाव में रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तथा यमुना एक्सप्रेस हाईवे अथारिटी को मजबूर होना पड़ा।

चन्दौली जिले में रेलवे विभाग ने रेल कॉरीडोर बनाने का फैसला लिया था। इसके लिए धान का कटोरा कहे जानेवाले इस क्षेत्र की लगभग दस हज़ार हेक्टेयर उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण करने की योजना बनी। इस प्रस्तावित अधिग्रहण का जबर्दस्त विरोध हुआ और अन्ततः राज्य सरकार को पीछे हटना पड़ा। किसानों ने तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी से पूछा था कि वे नंदीग्राम और सिंगूर में तो किसानों की ज़मीन के अधिग्रहण का विरोध कर रही थीं तो यहां किसानों की जमीन का अधिग्रहण क्यों कर रही हैं? इस पर उन्हें बगलें झांकनी पड़ीं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दादरी के किसानों का आंदोलन इतना आगे बढ़ा कि लाठी-डंडा-लालच कुछ काम न आया। हाईकोर्ट ने 2762 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण रद्द करते हुए निर्देश दिया कि अधिग्रहीत ज़मीन किसानों को वापस कर दी जाये। ज्ञातव्य है कि इस ज़मीन के लिए मुआवज़े का भुगतान भी हो चुका था। इसी तरह दादरी के पास स्थित सदरौना, मुजफ्फराबाद, भरोसा तथा सरौसा गांवों की कृषि-भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव भी रद्द हो गया।

बुन्देलखण्ड के ललितपुर जिले के दैलवारा गांव तथा इसके आसपास के गांवों की ज़मीन को बिजलीघर बनाने हेतु लेने का प्रस्ताव था। परंतु किसानों के तीखे विरोध के नाते यहां भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया रोकनी पड़ी।

भूषण विरोधी आंदोलन

जब सैंय्या भये कोतवाल तो डर काहे का

झारखण्ड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सत्ता में आते ही विकास के नाम पर यहां के प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर दोहन करने की पूरी योजना बना ली थी। उन्होंने इसकी शुरूआत 2001 में औद्योगिक नीति से की जिसके तहत हजारीबाग जिले के बरही से पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा तक मुख्य सड़क के दोनों ओर 5-5 किलोमीटर तक विशेष अर्थिक क्षेत्र बना कर वहां पूंजीपतियों को बिठाने की योजना थी। इसी कड़ी में उन्होंने ग्रेटर रांची एवं विकास का सब्जबाग दिखाते हुए आदिवासियों का सुरक्षा कवच कहलानेवाले छोटानागपुर एवं संथाल परगना काश्तकारी कानूनों में भी संशोधन करने की वकालत की।

2003 में झारखण्ड की राजगद्दी पर बैठे अर्जुन मुण्डा भी बाबूलाल मरांडी के पदचिन्हों पर ही चले। लेकिन 2005 में जनता के सामने उनका असली तब उजागर हुआ जब उन्हें दूसरी बार झारखण्ड की सत्ता मिली। अपनी दूसरी पारी में अर्जुन मुण्डा एमओयू के बादशाह बने। उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माता कहे जानेवाले पं0 जवाहारलाल नेहरू से भी ज्यादा एमओयू पर हस्ताक्षर किये और 2006 में मित्तल कंमनी के साथ हुए एमओयू को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया।

अपने कार्यकाल में अर्जुन मुण्डा ने उद्योगपतियों को झारखण्ड में खुला छोड़ दिया। इसी दौरान 2005 में नई दिल्ली स्थित भूषण स्टील एवं पॉवर लिमिटेड ने सरकार के साथ बिना कोई समझौता किये ही गांवों को चिन्हित करना प्रारंभ कर दिया। कंपनी ने स्टील एवं पॉवर प्लांट के लिए पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित पोटका प्रखण्ड के 14 गांवों को चिन्हित किया। इसकी भनक लगते ही ग्रामीण एकजुट हो गये और उन्होंने तय किया कि भूषण कंपनी को एक इंच भी जमीन नहीं दी जायेगी। इसी क्रम में ग्रामीणों ने खुटकट्टी रैयत भूमि सुरक्षा समिति का गठन किया।

पोटका में जमीन चिन्हित करने के बाद भूषण कंपनी ने 7 सितंबर 2006 को अर्जुन मुण्डा सरकार के साथ 10,500 करोड़ रूपये की लागत से तीन मीट्रिक टन क्षमता के स्टील प्लांट एवं 900 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखण्ड में लगाने के लिए एमओयू किया। इसके एक माह के भीतर 2 अक्टूबर 2006 को कंपनी ने पोटका प्रखण्ड के पिछली गांव में परियोजना का शिलान्यास करने की योजना बनायी। यह खबर लगते ही लगभग 5 हजार की संख्या में ग्रामीणों ने परियोजना स्थल जानेवाली सड़क में बैरिकेट लगा दिया। हालत यह बनी कि कंपनी के अधिकारियों को शिलान्यास स्थल पहुंचने के बजाय दूसरे रास्ते से जमशेदपुर भागना पड़ा।

भूमि अधिग्रहण के नाजायज प्रयासों की योजना भूषण कंपनी एवं सरकारी अधिकारियों ने गुप्त रूप से तैयार की थी। पोटका अनुसूचित क्षेत्र में आता है जहां ग्रामसभा सर्वोपरि है और भूमि अधिग्रहण हेतु ग्रामसभा की पूर्वानुमति अतिआवश्यक है। लेकिन कंपनी ने ग्रामीणों को अंधेरे में रखा और पोटका प्रखण्ड के सीओ से गैरमजूरवा जमीन कंपनी को देने के लिए राजी करवा लिया। 22 सितंबर 2007 को कंपनी के 11 सर्वेयर पिछली गांव पहुंचे लेकिन ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गये। भरी ग्राम सभा में उनसे लिखवाया गया कि आइंदा वे गांव का रूख नहीं करेंगे।

भूषण कंपनी ने इस घटना से कोई सबक नहीं सीखा और तीन सर्वेयर खड़िया साई गांव रवाना कर दिया और यहां भी उनके साथ वही सलूक हुआ। महिलाओं ने उन्हें पकड़ा, उनके चेहरे पर कालिख पोती और उन्हें पूरे गांव में घुमाया। इसके बाद उन्हें पोटका थाने को सौंप दिया गया। भारी विरोध को देखते हुए अब कंपनी ने पोटका के ही कलिकापुर क्षेत्र को चिन्हित किया। यहां लोगों को प्रलोभन देकर बांटने की कोशिश शुरू हुई। इन्हीं हलचलों के बीच कलिकापुर के आदिवासियों और दूसरे स्थानीय लोगों ने भूमि सुरक्षा समिति नामक संगठन का गठन किया। 10 जुलाई 2008 को कंपनी के खिलाफ कलिकापुर में बड़ी सभा हुई। कंपनी के पक्ष में खड़े लोगों ने भी उसी स्थान पर सभा रख दी। दोनों गुटों के बीच झड़प हुई लेकिन अंततः कंपनी के विरोध में खड़े लोग ही जीते। कंपनी समर्थकों को सभा की अनुमति नहीं थी इसलिए उन्हें उस जगह से हटना पड़ा।

अडियल कंपनी की दबंगई

दो बार भूषण कंपनी के सर्वेयर लोगों की गिरफ्त में आये और बुरी तरह अपमानित किये गये। बावजूद इसके कंपनी ने पहले की तरह इलाके में सेंध लगाने का अपना काम जारी रहा। कलिकापुर में कैम्प कार्यालय खोल कर खतियान एवं अन्य दस्तावेजों का सर्वे शुरू हुआ। कंपनी ने कुछ लोगों को पैसा भी दिया। परिस्थितियां थोड़ी अनुकूल दिखीं तो परियोजना की प्रगति का जायजा लेने के लिए कंपनी के सीएमडी की कलिकापुर यात्रा तय हो गयी। पोटका पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद थी। लेकिन आंदोलनकारियों ने उस दिन सुबह से ही कलिकापुर जानेवाली सड़क को जाम कर दिया। दोपहर बाद जाम तभी हटा जब पुलिस ने कंपनी के सीएमडी की गांव यात्रा रद्द करने का भरोसा दिलाया। यह झूठा भरोसा था। योजना थी कि आंदोलनकारियों के वापस होते ही सीएमडी की गांव यात्रा संपन्न करा दी जायेगी। योजना छिपी न रह सकी और आंदोलनकारी वापस सड़क पर जम गये।

लेकिन शाम को भूषण कंपनी के सीएमडी किसी तरह कलिकापुर पहुंचे गये। कुछ ने उनका भरपूर स्वागत किया लेकिन लौटते समय वे बाकी ग्रामीणों से घिर गये और वायदा करना पड़ा कि वे ऐसी गलती फिर नहीं दोहरायेंगे। लेकिन कंपनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आयी। 9 अगस्त 2008 को कंपनी ने संगठन के 6 लोगों पर पोटका थाना में मुकदमा दर्ज करा दिया। ग्रामीणों के सामने स्पष्ट था कि यह सारा खेल जमीन हड़पने के लिए किया जा रहा है इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं।

भूषण कंपनी के खिलाफ कलिकापुर की तरह जूड़ी, रोलाडीह, बोनकाटी, सरमंदा एवं समरसाई गांव में भी ग्रामीण गोलबन्द हुए और उन्होंने दोटूक एलान कर दिया कि वे कंपनी को किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देंगे। उधर, 11 सितंबर 2008 को कंपनी के लिए गुर्ररा नदी के पास गुपचुप तरीके से जमीन का सर्वे कर रहे तीन लोगों को रोलाडीह गांव की महिलाओं ने पकड़ा और उन्हें ग्रामसभा में पेश किया। महिलाओं ने तीनों को गोबर से पोता, उन्हें पुआल खिलाया एवं उन्हें जूते की माला पहना कर गांव भ्रमण कराया।

इसी दौरान पुलिस आ पहुंची तथा तीनों को गाड़ी में बैठा कर थाना ले जाने लगी। महिलाओं ने ऐसा नहीं होने दिया। कहा कि बार-बार मना करने के

बावजूद ये लोग हमारी जमीन का सर्वे करने आते हैं। तीनों को इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। तीनों को उसी हालत में रैली निकाल कर 7 किलोमीटर दूर स्थित पोटका थाना तक पैदल ले जाया गया। बाद में तीनों ने पलट कर 18 ग्रामीणों के खिलाफ पोटका थाना में मामला दर्ज करा दिया। इसका भी विरोध हुआ। आंदोलनकारियों ने पोटका के थाना प्रभारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को चेताया भी कि अगर झूठा मुकदमा बंद नहीं किया गया तो विधि-व्यवस्था की समस्या आ सकती है।

15 सितंबर 2008 को फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज ने रांची में भूषण कंपनी के पक्ष में झारखण्ड बचाओ रैली का आयोजन किया। रैली में कंपनी के सर्वेयरों के साथ ग्रामीणों द्वारा किये गये सुलूक की निन्दा की गई, विस्थापन विरोधी आंदोलकारियों पर मुकदमा चलाने एवं उद्योगपतियों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई।

आंदोलनकारियों को झूठे मुकदमों से घेरे जाने के खिलाफ 22 अगस्त 2008 को पोटका में जनाक्रोश रैली का आयोजन हुआ। रैली के आक्रामक तेवर देख पुलिस नरम पड़ गयी एवं किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। कंपनी ने अब नई चाल चली। कुछ स्थानीय लोगों को साथ लेकर हाता में अपना कैम्प कार्यालय खोला और ग्रामीण विकास समिति का गठन कर सामाजिक कार्य का मुखौटा भी पहना। इस खेल में बाहरी लोगों को जुटाया गया और इस पर लगभग 5 लाख रूपये बहाये गये लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं हुआ। कंपनीवालों ने बिरसा मुण्डा की प्रतिमा पर माला भी चढ़ायी जिससे जनाक्रोश और बढ़ गया।

इसके बाद भूषण और जिंदल कंपनी के खिलाफ सिलसिलेवार कई कार्यक्रम हुए। 25 सितंबर 2008 को हाता मे और 26 सितंबर 2008 को घाटीडुबा में आम सभा हुई, 11 नवंबर 2008 को जमशेदपुर में रैली निकाल कर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। सभी जगह आवाज उठी कि लोग इन कंपनियों को एक इंच भी जमीन देने को तैयार नहीं, कि प्रशासन जोर-जबर्दस्ती से भूमि अधिग्रहण का काम न करे।

तनिक खामोशी के बाद फिर वही हलचल

भारी विरोध को देखते हुए भूषण कंपनी ने 2009 में अपनी गतिविधियां स्थगित रखीं। लेकिन जैसे ही भाजपा समर्थित शिबू सोरेन की सरकार बनी, कंपनी ने अपनी गतिविधियां तेज कर दीं। कंपनी के दबाव में पोटका पुलिस ने

23 फरवरी 2010 को विस्थापन विरोधी एकता मंच के संयोजक कुमार चन्द्र मार्डी को कंपनी के सीएमडी पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर तुरत-फुरत जमशेदपुर जेल भेज दिया। 10 मार्च को इसके खिलाफ पोटका में एक दिवसीय धरना हुआ। पोटका में जमने को बेताब कंपनियों के खिलाफ 31 मार्च को एकता मंच ने जमशेदपुर में रैली निकाल कर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया।

13 अप्रैल 2010 को विभिन्न जनसंगठनों ने विस्थापन बन्द करने, जल-जंगल-जमीन, खनिज एवं प्राकृतिक संसाधनों पर ग्रामीणों का संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित किये जाने की मांग को लेकर आयुक्त कार्यालय के समक्ष धरना दिया। जानीमानी लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता महाश्वेता देवी ने 18 अप्रैल 2010 को पोटका प्रखण्ड के रोलाडीह एवं कलिकापुर गांवों में आयोजित जनसभाओं में हिस्सा लिया और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ चल रहे आंदोलनों को अपने समर्थन की घोषणा की।

इतने विरोध के बावजूद जब भूषण कंपनी ने पोटका में कुछ रैयतों की जमीन खरीद ली और उसके भूमि पूजन का आयोजन रखा तो आंदोलनकारियों ने 15 मई को अनिश्चितकालीन जनता कर्फ्यू लगा कर भूमि पूजन को रोक दिया। इसके बाद कंपनी ने 2 जून 2010 को जमीन का सर्वे करने हेतु दो लोगों को गुर्रा नदी के पास भेजा। लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता से दोनों सर्वेयर पकड़े गये और उन्हें रोलाडीह ग्राम सभा में पेश किया गया और फिर पोटका थाना को सुपुर्द कर दिया गया।

पोटका प्रखंड के लोग पिछले सात वर्षों से भूषण कंपनी के प्रस्तावित प्लांट का विरोध करते आ रहे हैं। इस दौरान अनगिनत जनसभाएं हुईं, हजारों जुलूस-प्रदर्शन हुए। शासन को कई बार बताया गया कि पोटका प्रखंड की जनता कंपनी की परियोजना के पक्ष में कतई नहीं है। लेकिन प्रशासन कंपनी की सेवा में लगा रहा जबकि सब जानते हैं कि कंपनी यहां की जनता के भले के लिए नहीं, लोहा-कोयला-पानी और दूसरे संसाधनों को लूटने के लिए आना चाहती है।

स्थानीय लोग सरकार से यह मांग करते-करते थक गये कि उनके गांवों का विकास हो। ऐसा विकास हो कि खेती, पशुपालन, मछली पालन, बागवानी, ग्रामीण उद्योग आदि फलें-फूलें, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा की बुरी स्थिति सुधरे और लोग खुशहाल रहें। लेकिन सरकार ने लोगों की नहीं सुनी। सिंचाई

की व्यवस्था की मांग धरी की धरी रही लेकिन उसी सरकार ने भूषण कंपनी को 30 किलोमीटर दूर से स्वर्णरेखा का पानी लाने और गहरी बोरिंग से भूजल के दोहन की अनुमति देने का फौरन मन बना लिया। इस बोरिंग से कंपनी इतना पानी खींच लेगी कि चारों तरफ के गांवों को पीने का पानी भी मिलना मुश्किल हो जायेगा। परियोजना से आनेवाली इस आफत का पता लगते ही ग्रामीणों ने कहा कि नदी के पानी और भूजल पर पहला हक उनका है, कि वे उसे लुटने नहीं देंगे। सरकार को कंपनियों के आगे झुकना, लोगों से उनके प्राकृतिक संसाधनों और आजीविका को छीनना और लड़ रहे लोगों का दमन करना छोड़ना होगा।

जनद्रोही क़ानूनों और राज्य दमन के ख़िलाफ़ पदयात्रा

भूषण स्टील का एमओयू रद्द करने, कोल्हान को केंद्र शासित राज्य की मान्यता देने, कुजू डैम की परियोजना रद्द करने, पांचवी अनुसूची को दृढ़तापूर्वक लागू करने आदि मांगों के लिए, और जनद्रोही क़ानूनों और राज्य दमन के ख़िलाफ़ 2 नवम्बर 2012 को पोटका से रांची तक की पदयात्रा शुरू हुई। मकसद था आदिवासियों के हक-अधिकार के लिए राजभवन का घेराव करना।

पदयात्रा के बारे में कहा जा सकता है कि लोग जुड़ते गये और कारवां बनता गया। इस दौरान आदित्यपुर क्षेत्र में हवाई पट्टी और सीआरपीएफ कैम्प का और चांडिल डैम का विरोध करनेवाले लोग शामिल होते गये। बुंडू से आदिवासी छात्र संघ के हजारों छात्र भी साथ जुड़े।

पदयात्रा अखिल भारतीय आदिवासी महासभा एवं राष्ट्रीय देशज पार्टी के नेतृत्व में और विभिन्न सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में निकली। पदयात्रा ले दौरान आदिवासी/मूलवासी एकता जिंदाबाद, पांचवी अनुसूची हमारा संविधान है, अबुआ दिशुम रे अबुआ राज, जमीन का सौदा बर्दाश्त नहीं, भूषण के दलालों होश में आओ आदि नारे गूंजे। पदयात्रा ने जोर देकर कहा कि पांचवी अनुसूची क्षेत्र में प्राकृतिक संपदा का मालिक आदिवासी है लेकिन उसकी मर्जी के बगैर प्राकृतिक संसाधनों को लूटा जा रहा है। सरकार को बड़ी कंपनियों से लौह अयस्क निकालने के लिए 27 रूपए प्रति टन की रायल्टी मिलती है और जिसे ये कंपनियां अंतराष्ट्रीय बाज़ार में 6 हजार रूपए प्रति टन के हिसाब से बेचती हैं। यह खुली लूट है।

कूडनकुलम पमाणु संयंत्र विरोधी आंदोलन

खतरों से बेपरवाह परियोजना

कूडनकुलम में परमाणु-रिएक्टर के खिलाफ चल रहा आंदोलन निर्णायक दौर में है। परमाणु बिजलीघर में यूरेनियम ईंधन डालने की घोषणा के बाद आंदोलन और तेज हुआ है। कूडनकुलम बेशक राष्ट्रीय मीडिया की सुर्ख़ियों से उतर गया हो लेकिन ज़मीन पर भारी दमन के बावजूद विरोध जारी है। इडिंतकराई और आसपास के गांव प्रतिरोध का केंद्र बने हुए हैं और यह लड़ाई राजनीतिक, कानूनी और आंदोलन तीनों स्तरों पर लड़ी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में कूडनकुलम परमाणु प्लांट को लेकर केस की सुनवाई जारी है और आंदोलन की तरफ से प्लांट की सुरक्षा, पर्यावरणीय प्रभावों, आजीविका पर खतरा और दुर्घटना की दशा में मुआवजा आदि को लेकर गंभीर सवाल उठाये जा रहे हैं। सुरक्षा और मुआवजे के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से जवाब मांगा है।

उधर, फर्जी केसों में आंदोलनकारियों को बंद करने और हज़ारों लोगों पर देशद्रोह के मुकदमे दायर किये जाने की चौतरफा निंदा हुई है। राज्य सभा सांसद अली अनवर ने संसद में कूडनकुलम का मुद्दा उठाते हुए आंदोलनकारियों को रिहा करने के अलावा स्वतंत्र रूप से देश की ऊर्जा नीति पर बहस और भारत के लिए नाभिकीय ऊर्जा की प्रासंगिकता पर पुनर्विचार किये जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि फुकुशिमा दुर्घटना के बाद प्रधानमंत्री ने देश से वायदा किया था कि भारत में अणुऊर्जा परियोजनाओं को लोगों की सहमति के बगैर नहीं लागू किया जायेगा। लेकिन कूडनकुलम में सरकारी समितियां आंदोलनरत लोगों से मिलीं तक नहीं और स्थानीय लोगों को संयंत्र की सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रभावों से संबंधित दस्तावेज तथा जानकारियां भी मुहैया नहीं कराई गयी।

कूडनकुलम में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन तथा अभिव्यक्ति की आज़ादी की अवहेलना हुई है। 55 हज़ार से ज़्यादा प्राथमिकियां दर्ज हुई हैं और हज़ारों लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है।

सरकार, परमाणु ऊर्जा कार्पोरेशन और ऊर्जा विभाग अणुऊर्जा में निहित खतरों की अनदेखी करते रहे हैं। इसमें कैंसर जैसी घातक बीमारियों, चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसे हादसों की संभावना है। परमाणु कचरा तो हज़ारों सालों तक जहरीला बना रहेगा और पूरी मानवता के लिए खतरा होगा। कूडनकुलम संयंत्र में इलाके की भूगर्भीय हलचलों, आपातकालीन स्थिति के लिए अपर्याप्त कूलिंग सिस्टम तथा शीतक जल की निर्बाध आपूर्ति का अभाव जैसी गहरी समस्याएं हैं। अणुऊर्जा कार्पोरेशन ने खुद अणुऊर्जा नियमन बोर्ड के नियमों – जैसे 1.5 किमी का शून्य-जनसंख्या क्षेत्र और 16 किमी के दायरे में ज़रूरी आपातकालीन निकासी ड्रिल इत्यादि का खुला उल्लंघन किया है।

ऊर्जा नीति के सवाल पर जलवायु परिवर्तन, आर्थिक-पर्यावरणीय और सामाजिक कीमत, और बिजली के न्यायपूर्ण बंटवारे की नज़र से देश में कोई स्वतंत्र और समेकित चर्चा नहीं हुई है। सरकारी और गैर-सरकारी विशेषज्ञों, नागरिक समूहों और जनप्रतिनिधिओं को एक साथ लाकर भारत की ऊर्जा जरूरतों और इसमें अणुऊर्जा की प्रासंगिकता पर चर्चा होनी चाहिए।

कूडनकुलमः बर्बर दमन, बहादुराना प्रतिरोध और व्यापक समर्थन

मद्रास उच्च न्यायालय में रिएक्टर परियोजना को रोकने की अर्जी खारिज होने के बाद परमाणु ऊर्जा कार्पोरेशन ने जहां तत्काल कूडनकुलम में ईंधन भरने की घोषणा कर दी, वहीं आंदोलन के समर्थकों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के साथ ही ज़मीन पर आंदोलन तेज कर दिया। 9 सितम्बर 2012 को लगभग बीस हज़ार लोग कूडनकुलम परमाणु रिएक्टर की पूर्वी दीवार के पास प्रदर्शन करने को पहुंचे तो सरकार पुलिसिया दमन पर उतारू हो गई। अगले दिन

शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हज़ारों मछुआरों, महिलाओं और बच्चों पर बर्बर लाठी चार्ज हुआ और आंसू गैस के गोले दागे गये। हमला पूरे दिन चला। एक मछुआरे की गोली लगने से वहीं मृत्यु हो गयी और अगले दिन से शुरू हुई हवाई पेट्रोलिंग के आघात से एक और व्यक्ति की मौत हो गयी।

पचास से अधिक लोग बुरी तरह घायल हुए और सौ से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। गांव में घुस कर पुलिस ने मछुआरों के घरों और नावों को तोड़ दिया। महिलाओं, बूढ़ों और बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। पुलिस ने

आंदोलन के शीर्ष नेता एसपी उदयकुमार को गिरफ्तार करने का बहाना बना कर इदिन्थाकराई और अन्य निकटवर्ती गांवों में यह उत्पात कई दिनों तक मचाया। इस सबके बावजूद आंदोलन ने थमने का नाम नहीं लिया। पुलिसिया जुल्म रोकने के लिए खुद एसपी उदयकुमार ने अपने आप को पुलिस को सौंपने की घोषणा कर दी लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें गिरफ्तारी देने से रोक दिया।

11 सितम्बर 2012 को तीन हज़ार लोगों ने कूडनकुलम में समुद्र के पानी में जल सत्याग्रह शुरू किया। यह परमाणु रिएक्टर परियोजना को खुद पर थोपे जाने और इसके खिलाफ चल रहे आन्दोलन के कार्यकर्त्ताओं के दमन के विरोध का अनोखा तरीका था।

पूरे देश के जन संगठन, मानवाधिकार संगठन जनपक्षीय पार्टियां और महाश्वेता देवी, अरुंधती राय जैसे प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी इस दमन के खिलाफ और जल सत्याग्रह की मांगों के पक्ष में खुल कर सामने आये। दिल्ली में जंतर मंतर, इंडिया गेट और तमिलनाडु भवन के सामने लोगों ने अपना विरोध जताया। ऐसे ही विरोध-प्रदर्शन चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, पुणे आदि महानगरों समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु के कई छोटे-बड़े शहरों में भी हुए।

12 सितम्बर 2012 को कुडनकुलमके समर्थन में लखनऊ में विरोध-प्रदर्शन हुआ. जिसमे मांग कीगई कि सरकार कुडनकुलम ही नहीं बल्कि जैतापुर, महाराष्ट्र, मीठी विर्डी, गुजरात, गोरखपुर, हरियाणा, चुटका, मध्य प्रदेश, कोवाडा, आंध्र प्रदेश, आदि, जहां-जहां नाभिकीय बिजली घर लगाना चाह रही है अपनी योजना वापस ले।

15 सितम्बर 2012 को कुडमकुलम के परमाणु संयत्र विरोधी आंदोलन पर किये जा रहे दमन के खिलाफ रावत भाटा परमाणु संयत्र के श्रमिकों ने अपनी नाराजगी जाहिर की जिनका संगठन श्रमिक हितों के लिए परमाणु संयंत्र प्रबंधन की मनमानियों से जूझ रहा है। श्रमिक संघ ने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा जिसकी शुरुआत कुडमकुलम के बेकसूरों के साथ किये जा रहे अन्याय की निंदा से की गयी। 16 सितम्बर को केरल से कुडमकुलम आंदोलन के सैकड़ों समर्थकों ने त्रिवेंद्रम से कुडमकुलम तक विरोध मार्च निकाला जिसे

तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी में पुलिस ने रोक दिया और कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार कर लिया।

17 सितम्बर को मछुआरों के राष्ट्रीय संगठन ने पूरे देश में हडताल का आयोजन किया। 19 और 20 सितम्बर को मुंबई उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बीजी कोलसे-पाटिल की अगुवाई में बने स्वतंत्र जांच दल ने कुडमकुलम का दौरा किया। बाद में जांच दल ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में इस बर्बर सरकारी कार्रवाई की कड़ी भर्त्सना की और उसका पूरा ब्यौरा पेश किया। कहा कि परियोजना में पर्यावरणीय सवालों और लोगो के जीवनयापन तथा सुरक्षा के सरोकारों की पूरी तरह अनदेखी हुई है। आंदोलन से जुड़े आठ हज़ार लोगों पर सरकार ने देशद्रोह के मुकदमे लगा दिये हैं और इसमें बुज़ुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं।

28 और 29 सितम्बर को दिल्ली में आयोजित फर्जी केसों पर राष्ट्रीय जनसुनवाई में भी कुडमकुलम में हुए दमन और हज़ारों फर्जी केसों का मामला उठाया गया। इसमें शामिल हुए बिनायक सेन जैसे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु सरकार की निदा की।

इस बीच वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सर्वोच्च न्यायालय में कुडमकुलम का मामला उठाया और वहां हुए प्रावधानों की अवहेलना को केंद्र में रखते हुए रिएक्टर के उदघाटन को रोकने की मांग की। परमाणु ऊर्जा नियमन बोर्ड ने मद्रास हाईकोर्ट में शपथपत्र देकर 17 सुरक्षा-शर्त्तों पर कार्रवाई होने के बाद ही रिएक्टर के शुरू होने को मंजूरी देने की बात कही थी। लेकिन उच्च न्यायालय में वह अपनी बात से मुकर गया। कहा है कि उक्त सुरक्षा-शर्तें बाध्यकारी नहीं है बल्कि मात्र सुझाव भर है। देश भर के लोकतांत्रिक आन्दोलनों और परमाणु विरोधी समूहों ने इसकी घोर निंदा की। लेकिन केंद्र और तमिलनाडु की 'लोकतांत्रिक' सरकारें कुडमकुलम परियोजना को लेकर अपने कदम पीछे करने को तैयार नहीं दिखतीं।

सीमेंट प्लांट विरोधी आन्दोलन

किसानों की बेबसी बनाम सरकारी बेदिली

देश की राजधानी से मुश्किल से ढाई सौ किलोमीटर दूर नवलगढ़ (झुंझुनू, राजस्थान) में अपनी ज़मीन बचाने के लिए किसान एक हजार से अधिक दिनों से धरने पर बैठे हैं। इन किसानों की 72 हजार बीघा जमीन में प्रस्तावित तीन सीमेंट प्लांटों में जा रही है। नवलगढ़ समेत सीकर जिले के बेरी क्षेत्र में सीमेंट कंपनियों के लिए 18 गांवों में बसी करीब 50 हजार लोगों की आबादी को उजाड़ने की तैयारी है।

शेखावाटी क्षेत्र में झुंझुनु जिले का नवलगढ़ कस्बा खूबसूरत हवेलियों पर अनूठी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। हवेलियों के अलावा भित्त चित्रकारी की इस परंपरा के नमूने छतरियों, दीवारों, मंदिरों, बावड़ियों, किलों पर जहां-तहां बिखरे हुए हैं। यह क़स्बा कलात्मक मीनारोंवाले कुओं, आकर्षक छतरियों, विशालकाय बावड़ियों, नयनाभिराम जोहड़ व तालाब, ऐतिहासिक किले, स्मारक तथा ग्रामीण पर्यटन केन्द्र के लिए भी दूर तक मशहूर है। नवलगढ़ की यही खासियत पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। परंतु जल्दी ही इस क्षेत्र की तस्वीर बदलनेवाली है। सरकारी की योजना इस हरे भरे क्षेत्र को रेगिस्तान में बदल देने की है।

बिड़ला, बांगड़ और आइसीएल समूह ने 2007 में राजस्थान सरकार को नवलगढ़ की धरती पर सीमेंट प्लांट, खनन एवं पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया था। याद रहे कि इस इलाके में तकरीबन 207.26 मिलियन टन चूने के पत्थर का भंडार है। नवलगढ़ से मात्र 6 से 10 कि.मी. की परिधि में इन तीन बड़ी सीमेंट कम्पनियों के लिए होनेवाले भूमि अधिग्रहण के कारण 6 ग्राम पंचायतों के 18 गांवों व ढाणियों के लगभग 65 हजार लोग, हजारों, जानवर विस्थापित होगे और लाखों पेड़ नष्ट हो जायेंगे। खेजड़ी का वृक्ष जो यहां के लोक जीवन में रचा बसा है, विलुप्त प्रजाति हो जायेगा।

2100 करोड़ के निवेश से अल्ट्राटेक सीमेंट कम्पनी की योजना बसावा एवं

तुर्काणी जोहड़ी के पास सीमेंट प्लांट लगाने की है। कम्पनी सीमेंट प्लांट व टाउनशिप निर्माण के लिए 250 हैक्टेयर (2250 बीघा), प्रथम चरण में खनन के लिए खिरोड, केमरों की ढाणी, मोहनवाड़ी, तथा सीकर जिले के बेरी की 3461.2 हैक्टेयर (31151 बीघा) भूमि, दूसरे चरण के खनन के लिए बसावा एवं सुण्डों की ढाणी की 1153.4 हैक्टेयर (10381 बीघा) भूमि तथा रेल कॉरिडोर के लिए सीकर जिले के बेरी व कोलीडा की 75 हैक्टेयर (675 बीघा) भूमि का अधिग्रहण करना चाह रही है। कम्पनी की योजना के अनुसार कुल 4939.6 हैक्टेयर (44457 बीघा) भूमि पर 7 करोड़ मीट्रिक टन की उत्पादन क्षमता का प्लांट, 75 मैगावाट का थर्मल पावर प्लांट तथा 12 मैगावाट का डीजल जनरेटर आधारित ऊर्जा प्लांट लगेगा। और इसके लिए कम्पनी प्रति दिन 4000 क्युबिक मीटर भूजल का उपयोग करेगी। कम्पनी का दावा है कि सात सौ व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

श्री सीमेंट कम्पनी की योजना 718 करोड़ का निवेश करके गोठड़ा गांव में 3 करोड़ मीट्रिक टन की क्षमता का प्लांट लगाने की है। कम्पनी सीमेंट प्लांट के लिए 150 हैक्टेयर (1350 बीघा) तथा खनन के लिए देवगांव, चोढाणी व खेरावा की ढाणी की 624 हैक्टेयर (5616 बीघा) भूमि अधिग्रहण करना चाह रही है। श्री सीमेंट के अनुसार 774 हैक्टेयर (6966 बीघा) भूमि पर प्लांट, खनन तथा 36 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट व 10 मेगावाट का डीजल जनरेटर लगेगा। कम्पनी को प्रति दिन 1200 किलो लीटर भूजल की जरूरत होगी।

आईसीएल कम्पनी 2 करोड़ मीट्रिक टन की क्षमता का प्लांट लगाने के लिए खोजावास, बसावा, देवगांव व भोजनगर की 670.24 हैक्टेयर (6032 बीघा) जमीन पर नजर जमाए हुए है। इन तीनों कम्पनियों के लिए करीब 72 हजार बीघा भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है।

इन कारखानों के लिए जरूरी पावर प्लांट भी लगाये जायेंगे जो और भी कहर बरपा करेंगे। 75 एवं 36 मेगावाट के इन थर्मल पावर प्लांटों को चलाने के लिए हर रोज 24,000 कुंतल कोयला जलाया जायेगा। इसी प्रकार 10-10 मेगावाट के दो डीजल जनरेटर को चलाने के लिए प्रतिघंटा 14 टन डीजल जलाया जायेगा। इससे वायुमंडल में अत्यधिक जहरीली गैसें तथा धूल फैलेगी। इससे स्थानीय आबादी के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा तथा कैंसर, सांस के

रोग, टीबी, चर्मरोग, एलर्जी व अन्य बीमारियां फैलेंगी। पशुओं के स्वास्थ्य व खेती पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। जल, वायु व ध्वनि प्रदूषण, पानी की कमी तथा कृषि भूमि के बंजर हो जाने से भूमि की गुणवत्ता में भारी गिरावट आयेगी।

अहम बात यह भी कि थर्मल प्लांट को ठंडा करने के लिए लाखों गैलन पानी की आवश्यकता पड़ेगी, बड़े-बड़े बोरवेल्स से दिन-रात पानी निकाला जायेगा। केवल ग्रासिम कम्पनी को ही 4 हजार क्युबिक मीटर भूजल चाहिए होगा। इतना पानी निकालने के लिए कम से कम 8 से 10 बोर करने पड़ेगे। विरोधाभास देखिये। सरकार ने झुंझुनू जिले को डार्क जोन घोषित कर रखा है यानी कोई भी किसान अपने खेत में कुआं नहीं खोद सकता। दूसरी तरफ इसी जिले में इन सीमेंट प्लांटों को हर रोज लाखों गैलन भू-जल का दोहन करने की अनुमति दे रही है। इतना पानी निकालने के पश्चात क्षेत्र के पानी के सभी स्रोत सूख जायेंगे। यह हरा-भरा क्षेत्र रेगिस्तान बन जायेगा।

इरादा शेखावटी इलाके को मानव आबादी रहित बनाये जाने का है। झुंझुनू से सटे सीकर जिले के केरपुरा-तिवारी का बास, रोहिल, घाटेश्वर, रघुनाथगढ़, नरसिंह पुरी-हुर्रा की ढ़ाणी, पचलांगी इलाके में यूरेनियम माइनिंग की योजना पर 2005-06 से ही काम चल रहा है। ज्ञातव्य है कि माइनिंग के लिए प्रस्तावित जमीन वन विभाग की है लेकिन केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इसे हरी झण्डी दे दी है और राज्य सरकार को भी इस पर कोई आपत्ति नही है। अभी 1150 हैक्टेयर (10350 बीघा) जमीन पर यूरेनियम माइनिंग की बात कही जा रही है। एटामिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फार इक्सप्लोरेशन एण्ड रिसर्च (एएमडीईआर) ने पांचवी दशाब्दी के आखिरी सालों में इस क्षेत्र में यूरेनियम की मौजूदगी की खोज कर ली थी। 2009 में आशा व्यक्त की गयी थी कि यह परियोजना दो वर्ष में पूरी हो जायेगी। जियोग्राफिकल सर्वे आफ इण्डिया भी सीकर जिले के इस इलाके का सर्वे कर चुकी है। एएमडीईआर के अधिकारियों का कहना है कि सिंहभूम (झारखण्ड), मेहाडक (मेघालय) एवं कुडप्पा (आंध्र प्रदेश) के बाद सीकर जिले में यूरेनियम मिलने से देश में चल रहे एवं प्रस्तावित परमाणु संयंत्रों के लिए परमाणु ईंधन की पूर्ति की बहुत हद तक घरेलू स्तर पर व्यवस्था होगी, यूरेनियम आयात पर निर्भरता कम होगी।

कंपनियों के खिलाफ किसान आंदोलन

तीन कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण किये जाने की योजना की जानकारी मिलते ही प्रभावित होनेवाले किसानों ने साफ तौर पर कह दिया था कि उनकी जमीन अत्यधिक उपजाऊ है, कि उनकी आजीविका और आत्मनिर्भरता का प्रमुख साधन है, कि अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। वे तहसील और जिला मुख्यालय तथा विधानसभा तक प्रदर्शन से लेकर सर्वदलीय सभाएं आयोजित कर अपना यह पक्ष और संकल्प रख चुके हैं। उनका धरना तो कोई तीन साल से लगातार जारी है। लेकिन सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं और लोग भी पीछे हटने को तैयार नहीं, तमाम दमन के बावजूद। प्रभावित गांवों के अलावा आसपास के दसियों गांवों के लोग और राजस्थान बिजली किसान यूनियन जैसे संगठन भी किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं।

किसानों के संघर्ष की अगुवाई कर रही भूमि अधिग्रहण विरोधी किसान संघर्ष समिति के मुताबिक श्री सीमेंट के प्लांट एरिया के लिए गोठड़ा गांव की 143 हैक्टेयर भूमि का अवार्ड पारित हो चुका है। अवार्ड भूमि के 27 करोड़ 25 लाख रूपये के चेक भी जारी हुए। लेकिन जब रीको (राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट एण्ड इनवेस्टमेण्ट कारपोरेशन) के अधिकारी मुआवजों के चेक वितरित करने आये तो किसानों

समाज सेवा का ढोंग भी

पोस्को, वेदांत, टाटा की तर्ज पर अल्टाट्रेक कम्पनी भी लोगों को भरमाने के लिए समाज सेवा का ढोंग रचने लगी है। नवलगढ़ क्षेत्र के खिरोड़ के पास भामू की ढाणी में स्थित स्व. लक्ष्मणराम भामू सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र पर अल्ट्राटेक सीमेंट की ओर से रोगियों के लिए निःशुल्क एंबुलेंस सेवा शुरू की गई है। कम्पनी के प्रतिनिधियों के अनुसार यह सेवा खिरोड़, बसावा, मोहनवाड़ी व तुर्काणी जोहड़ी के क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए है। डाक्टर द्वारा रैफर किये जाने पर एंबुलेंस रोगी को सीकर व नवलगढ़ अस्पताल भी पहुंचायेगी।

इसी क्षेत्र में सीमेण्ट कम्पनियों के प्रस्ताव का स्थानीय किसान पुरजोर विरोध कर रहे हैं। एंबुलेंस सेवा की शुरूआत 24 जुलाई 2011 को उस वक्त की गयी जब आंदोलनकारी किसान जयपुर-लुहारू राज्य मार्ग जाम करके धरना दे रहे थे। इसी तरह का ढोंग पोस्को, वेदांत, टाटा उड़ीसा में, जिंदल-भूषण-मित्तल झारखण्ड, छत्तीसगढ़ में तथा अब बिरला राजस्थान में भी कर रहा है।

ने उसे लेने से मना कर दिया। कम्पनियां आंदोलन को तोड़ने और लोगों को भ्रमित करने के लिए नये-नये हथकंडे आजमाती रहती हैं। मगर सवाल लोगों की रोजी-रोटी और अस्तित्व का है। इसलिए किसान एकजुट हैं और इसी के चलते कम्पनियों के मंसूबे सफल नहीं हो पा रहे है।

लेकिन ऐसे भी लोग और संस्थाएं हैं जो इन खतरों की गंभीरता से मुंह फेर रहे हैं। नवलगढ़ स्थित मोरारका फाउंडेशन के जिम्मेदारों के पास विनाश से भी मुनाफा कमाने का नायाब नुस्खा है, कि सीमेंट प्लांटों से रूरल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लोहार्गल तक ट्रेकिंग रूट शुरू की जायेगी।

फिलहाल भूमि अधिग्रहण विरोधी किसान संघर्ष समिति आंदोलन में डटी है, प्रभावित होने जा रहे गांवों की एकजुटता को कायम रखने में जुटी हुई है। यही कारण है कि भूमि अधिग्रहण की सरकारी योजना आगे नहीं बढ़ पा रही। भूमि अधिग्रहण के विरोध में जारी किसानों के धरने के 787वें दिन, 21 अक्टूबर 2012 को उसे अपना समर्थन देने पूर्व थलसेनाध्यक्ष वीके सिंह भी नवलगढ़ पहुंचे। कहा कि शेखावाटी शहीदों की धरती है। यहां का जवान जब सीमा की रक्षा कर सकता है तो अपनी जमीन की भी रक्षा करना जानता है। विकास संयोजित और संतुलित होना चाहिए। किसानों की उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण किये जाने से कई घर तबाह होंगे और खाद्यान्न संकट में और बढ़त होगी। लेकिन लड़ाकू किसान विकास के नाम पर विनाश नहीं होने देंगे, वे जान देंगे पर जमीन नहीं।

संघर्ष संवाद की परिकल्पना जनसंघर्षों की एक पूरक प्रणाली के तौर पर की गई थी, जिसकी शुरूआत वर्ष 2010 में हुई. भारत के सामाजिक जन संघर्षों में व्याप्त संवादहीनता (सूचनाभाव) को देखते हुए इसकी शुरूआत की गई। मुख्यधारा की मीडिया में सूचना-क्रान्ति के तमाम दावों के बावजूद खबरों की अति-स्थानीयता के कारण एक क्षेत्र के लोग अपने ही नजदीकी परिवेश के मुद्दों और आन्दोलनों के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं. संघर्ष संवाद की भूमिका एक तरफ जंगल, भूमि, जल, परमाणु ऊर्जा से संबंधित नीतिगत मुद्दे और दूसरी तरफ जनान्दोलनकारियों, कारपोरेट ताकतों की शह पर होने वाले दमन को बहस के केंद्र में लाने की रही है. साथ ही, धार्मिक कठमुल्लावाद के प्रतिरोध में चल रही गतिविधियों, दक्षिण एशिया में परमाणु हथियारों और सैन्यवाद की होड़ आदि के सन्दर्भ में संघर्ष संवाद ने धीरे-धीरे अपनी उपस्थिति बनाई है।

विगत दो वर्षों में एक पत्रिका के बतौर संघर्ष संवाद ने प्रत्याशित तथा फौरी आवश्यकताओं एवं कार्यभारों को तेजी से अंजाम तक पहुंचाया है। आज संघर्ष संवाद का 1000 से अधिक संगठनों, नेटवर्कों एवं देशव्यापी और क्षेत्रव्यापी सदस्यों के साथ नियमित सम्पर्क है।

संघर्ष संवाद (हिन्दी) का त्रैमासिक प्रिंट संस्करण निर्बाध निकलता आ रहा है। जून 2012 से इसके वेब-संस्करण **(www.sangharshsamvad.org)** की शुरुआत की गई है.

संघर्ष संवाद जन संघर्षों को प्रोत्साहित करने, जन संघर्षों के अगुवाकारों-कार्यकर्ताओं को दूसरे आन्दोलनों के बारे में जानकारियाँ उपलब्ध करवाने में प्रयत्नशील है ताकि लोग एक दूसरे के संघर्षों से सीखें और संवाद कायम करें. आज के दौर में जनांदोलनों को एक सफल मुकाम तक पहुंचाने के लिए यह संवाद की प्रक्रिया ज़रूरी है.

आपसे अनुरोध है कि आप अपने या अपने क्षेत्र में चल रहे जनसंघर्षों की रिपोर्ट संघर्ष संवाद से साझा करें ताकि दूसरे आन्दोलनों के साथियों को भी आपके आंदोलन के बारे में जानकारियाँ मिलती रहें।

आप अपने जन संघर्षों के बारे में जानकारी sangharshsamvad@gmail.com पर ईमेल द्वारा दे सकते हैं अथवा निम्न पते पर डाक द्वारा भी भेज सकते हैं।

संघर्ष संवाद

ए-124/6, दूसरी मंजिल, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110 016
फोन/फैक्स: 011-26968121/26858940